भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116
विवि.एफ़आईएन.आरईसी 16/26.03.001/2024-25 **24 अप्रैल 2024**
(23 अप्रैल 2025 को अद्यतित)
(21 जनवरी 2025 को अद्यतित)

सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

महोदय / महोदया

मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

भवदीय

(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय ,द्वितीय तल ,मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह रोड ,फोर्ट, मुंबई -400001
Department of Regulation, Central Office, 2nd Floor, Main Building, Shaheed Bhagat Road, Fort, Mumbai-400 001
Email: cgmicdor@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

विषयसूची

खंड I: परिचय 4
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 4
2. निदेशों/अनुदेशों की प्रयोज्यता.................... 4
3. परिभाषाएँ.................... 4
4.व्याख्यां.................... 8
5. छूट 8
खंड II: पंजीकरण और संबंधित मामलें 9
6. पंजीकरण 9
7. निवल स्वाधिकृत निधि 9
8. एआरसी गतिविधियां 10
खंड III: आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश 13
9. वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण....................13
10. वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए योजना 15
11. उधारकर्ता के कारोबार प्रबंधन में परिवर्तन अथवा उसका अधिग्रहण 16
12. उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या पट्टे पर देना....................20
13. उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों का पुनर्निर्धारण करना 20
14. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन 21
15. उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि का निपटारा 21
16. ऋण के किसी हिस्से को उधारकर्ता इकाई के शेयरों के रूप में परिवर्तन 22
17. प्रतिभूतिकरण....................23
खंड IV: विवेकपूर्ण विनियमन....................27
18. पूंजी पर्याप्तता अनुपात....................27
19. आस्ति वर्गीकरण 27
20. प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं 28
खंड V: अभिशासन एवं आचार....................30
21. बोर्ड और प्रबंधन....................30
22. प्रायोजकों/निवेशकों के लिए उपयुक्त और उचि मानदंड....................32
23. उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) 35
खंड VI: लेखांकन और प्रकटीकरण....................39
24. लेखांकन से संबंधित दिशानिर्देश 39

25. निवेश 40
26. आय-निर्धारण 40
27. तुलनपत्र में प्रकटीकरण 42
28. विवरणी प्रस्तुत करना 43
29. लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रस्तुति 44
30. मामलों की रिपोर्टिंग 44
31. सूचना का प्रदर्शन – सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिगृहीत आस्ति 44
खंड VII: विविध अनुदेश 45
32. आंतरिक लेखापरीक्षा 45
33. साख सूचना कंपनियों से संबंधित दिशानिर्देश 45
34. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ लेनदेन का विवरण दर्ज करना 45
35. सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना 46
36. अपने ग्राहक को जानें (KYC)...46
37. भारतीय बैंक संघ (IBA) को रिपोर्टिंग 46
38.अनुपालन न करने पर दंडात्मक परिणाम 46
39. प्रावधानों का निरसन 46
अनुबंध I: एसआर से संबंधित प्रकटीकरण 48
अनुबंध II: निदेशक/एमडी/सीईओ द्वारा ----- को घोषणा और वचनबंध 49
अनुबंध III: निदेशक/एमडी/सीईओ के बारे में जानकारी 52
अनुबंध IV: आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/जानकारी की एक सांकेतिक सूची 56
अनुबंध V: निदेशक के साथ प्रसंविदा विलेख का प्रपत्र 57
अनुबंध VI 62
फॉर्म I: प्रायोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा 62
फॉर्म II: प्रायोजकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय एआरसी द्वारा रिज़र्व बैंक को दी जाने वाली जानकारी...67
फॉर्म III:एआरसी के सभी मौजूदी प्रायोजकों द्वारा एआरसी को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक घोषणा (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को)..68
अनुबंध VII: निरस्त परिपत्रों की सूची 69

खंड I: परिचय

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1.1 इन निदेशों को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 कहा जाएगा।

1.2 ये निदेश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

2. निदेशों की प्रयोज्यता: इन निदेशों के प्रावधान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत प्रत्येक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

3.1 इन निदेशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दिए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे उद्धृत है:

(i) "अधिनियम" का अर्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) है ।

(ii) “विघटित मूल्य" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि से है, जिसे अमूर्त आस्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाकर निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है।

(iii) "प्रबंधन में परिवर्तन" का अर्थ एआरसी की पहल पर उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन के लिए संपूर्ण या काफी हद तक संपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति और / या अन्य संबंधित कार्मिक को परिवर्तित करने से है।

(iv) “अभिग्रहण की तारीख” का अर्थ उस तारीख से है, जिस तारीख को एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों का स्वामित्व अपनी बहियों या सीधे ट्रस्ट की बहियों में ग्रहण किया जाता है।

(v)"जमाराशि" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत बनाये गये कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियम, 2014 में यथा परिभाषित जमाराशि से है।

(vi) “अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;

(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(सी) एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(vii)"उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य (अर्निंग वैल्यू) तथा ब्रेक-अप मूल्य के माध्य से है;

(viii) "निवल स्वामित्व निधि" का अर्थ है स्वामित्व निधि से घटाकर निकाली गई राशि, जो राशियाँ निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करती हैः

ए) एआरसी के शेयरों में निवेश -

i. इसकी सहायक कंपनियां;

ii. एक ही समूह की कंपनियां;

iii. अन्य सभी एआरसी; और

बी) डिबेंचर, बांड, बकाया ऋण और दिए गए अग्रिम और जमा की बही कीमत -

i. एआरसी की सहायक कंपनियां; और

ii. एक ही समूह की कंपनियां,

इस सीमा तक कि ऐसी राशि स्वामित्व वाली निधि के 10% से अधिक हो।

(ix)"अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का अर्थ किसी आस्ति से है, जिसके संबंध में:

(ए) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), ऋण या अग्रिम प्राप्त करने की तारीख अथवा उधार लेने वाले और प्रवर्तक के बीच संविदा के अनुसार नियत तारीख से, 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए जो भी बाद में हो, अतिदेय हो;

(बी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 10 में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए बनायी गयी योजना में, उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख से 180 दिन या उससे अधिक दिन की अवधि के लिए अतिदेय हो;

(सी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 10 में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए जब कोई योजना नहीं तैयार की गयी हो तो योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय होती है; या

(डी) कोई अन्य प्राप्य राशि, यदि वह एआरसी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

बशर्ते किसी एआरसी का निदेशक मंडल उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर किसी आस्ति को उस पर उल्लिखित अवधि से पहले भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है (उक्त अधिनियम की धारा 13 में किये गये उपबंध के अनुसार प्रवर्तन में सुविधा के लिए) ।

(x)"अतिदेय"का अर्थ उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद अप्रदत्त (अनपेड) रहती है;

(xi) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ निम्नलिखित का योग है

(ए) चुकता ईक्विटी पूंजी;

(बी) चुकता अधिमान पूंजी, उस सीमा तक जहां तक कि यह इक्विटी पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(सी) मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोडकर);

(डी) लाभ और हानि खाते में जमाशेष जिसमें से निम्नलिखित को घटाया गया हो :

(ई) लाभ और हानि खाते में नामे शेष

(एफ)विविध खर्चे (बट्टा खाते में न डाली गई या समायोजित न की गई सीमा तक);

(जी)अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य;

(एच) अनर्जक आस्तियों के लिए अल्प / कम प्रावधान / निवेशों के मूल्य;

(आई) अधिक आय निर्धारण, यदि कोई हो; और

(जे)वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किये गये मदों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियां;

एनबीएफसी को स्वामित्व निधि से उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति (भारतीय लेखा मानक 116-पट्टे के अनुसार सृजित) की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली जा रही अंतर्निहित परिसंपत्ति एक मूर्त परिसंपत्ति हो।

(xii) "योजना अवधि" का अर्थ है पुनर्निर्माण के उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए योजना तैयार करने के लिए छह महीने से अधिक की अवधि की अनुमति नहीं है;

(xiii)"मानक आस्ति" का अर्थ किसी ऐसी आस्ति से है, जो अनर्जक आस्ति नहीं है;

(xiv)"प्रबंधन का अधिग्रहण " का अर्थ एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन कार्मिक को परिवर्तित करके या बिना परिवर्तित किए उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को अधिग्रहीत करने से है।

(xv)"न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास से है ।

3.2 यहां पर प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इस अधिनियम में जिनकी परिभाषा दी गई है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका अर्थ है । अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम में नहीं दी गई है , अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित है ।

4. स्पष्टीकरण: इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, यदि रिज़र्व बैंक आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगी । इसके अलावा, ये प्रावधान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके न्यूनीकरण में।

5. छूट: रिज़र्व बैंक, यदि एआरसी को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है, तो सभी एआरसी या किसी विशेष एआरसी को इन निदेशों के सभी या किसी भी प्रावधान से, आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है, बशर्ते ऐसी शर्तों के अधीन जो रिज़र्व बैंक लगा सकता है।

खंड II: पंजीकरण और संबंधित मामले

6. पंजीकरण

6.1 प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू करने से पहले, एआरसी को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए अनुसार रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना होगा।

6.2 पंजीकरण के लिए इच्छुक एआरसी अपना आवेदन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आवेदन पत्र में सभी प्रासंगिक अनुलग्नकों/सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरकर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001 को प्रस्तुत करें।

6.3 कोई एआरसी, जिसने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण दोनों कार्यकलाप कर सकती हैं;

6.4 कोई एआरसी बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी। एआरसी से आवेदन प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से बारह महीने तक का विस्तार दे सकता है।

6.5 आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए, 45-आईबी और 45-आईसी के प्रावधान, सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एआरसी पर लागू नहीं होंगे।

6.6 अधिनियम की धारा 3 के तहत वह इकाई जो रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है वह आवश्यक प्राधिकरण/अनुमोदन के अधीन अधिनियम के दायरे से बाहर प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय कर सकती है[1]।

7. निवल स्वाधिकृत निधि

7.1 प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के लिए और उसके बाद, निरंतर आधार पर, एआरसी के पास ₹300 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) होनी आवश्यक है ।

---

[1] ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान कुछ लेनदेन करते हैं, जो प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की प्रकृति में होते हैं, जहां उनके संबंधित कानूनों और विनियमों द्वारा इसकी अनुमति होती है।

7.2 11 अक्टूबर 2022 तक मौजूद एआरसी को ₹300 करोड़ की न्यूनतम आवश्यक एनओएफ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी पथ प्रदान किया गया है:

11 अक्टूबर 2022 को न्यूनतम आवश्यक एनओएफ	**31 मार्च 2024 तक**	**31 मार्च 2026 तक**
100 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये	300 करोड़ रुपये

उपर्युक्त चरणों में से किसी का भी अनुपालन न करने की स्थिति में, गैर-अनुपालन एआरसी पर्यवेक्षी कार्रवाई के अधीन होगी, जिसमें उस समय लागू आवश्यक न्यूनतम एनओएफ तक पहुंचने तक वृद्धिशील व्यवसाय करने पर प्रतिबंध शामिल है।

8. एआरसी की गतिविधियाँ

8.1 एआरसी केवल प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण गतिविधियों और कार्यों को जो अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रदान की गई है, को शुरू/करेगी।

8.2 अधिनियम की धारा 10(2) के प्रावधान के संदर्भ में, एआरसी को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत समाधान आवेदकों के रूप में उन गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है जिन्हें करने की अधिनियम के तहत विशेष रूप से अनुमति नहीं है। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) एआरसी का न्यूनतम एनओएफ ₹1,000 करोड़ है।

(ii) एआरसी के पास समाधान आवेदक की भूमिका निभाने के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गतिविधियों का दायरा, क्षेत्रीय जोखिमों के लिए आंतरिक सीमा आदि शामिल है।

(iii) आईबीसी के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों वाली एक समिति गठित की जाएगी।

(iv) एआरसी द्वारा ऐसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन फर्मों/ व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने की संभावना का पता लगाया जाएगा, जिनके पास फर्मों/ कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर फर्मों/ कंपनियों के प्रबंधन के लिए विचार किया जा सकता है।

(v) किसी विशिष्ट कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में, आईबीसी के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से पांच साल के बाद एआरसी कॉर्पोरेट देनदार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण नहीं रखेगा। इस शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, एआरसी को समाधान आवेदक या समाधान सह-आवेदक के रूप में आईबीसी के तहत कोई नई समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.3 एआरसी, एक प्रायोजक के रूप में और एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से, किसी अन्य एआरसी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है।

8.4 एआरसी अपने बकाया की वसूली के एकमात्र उद्देश्य से अर्जित ऋण खाते के पुनर्गठन के लिए अपनी निधि का उपयोग कर सकती है।

8.5 एआरसी, बोर्ड-अनुमोदित नीति के अनुसार, अपने पास उपलब्ध किसी भी अधिशेष निधि को अभिनियोजन कर सकती है -

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) या ऐसी अन्य इकाई जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(ii) अल्पकालिक लिखत जैसे, मुद्रा बाजार परस्परिक निधि, जमा प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट बॉन्ड / वाणिज्यिक पत्र जिनकी अल्पकालिक रेटिंग किसी योग्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए- या उससे ऊपर की दीर्घकालिक रेटिंग के बराबर है (सीआरए), ऐसे अल्पकालिक उपकरणों में अधिकतम निवेश पर एआरसी के एनओएफ के 10% की सीमा के अधीन है।

8.6 कोई भी एआरसी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी। हालाँकि, यह प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

(i) एआरसी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए भूमि और भवन में अपने स्वामित्व वाले धन का 10% तक निवेश; और

(ii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आस्तियों के पुनर्निर्माण के अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में दावों की संतुष्टि के लिए एआरसी द्वारा अर्जित भूमि और भवन। एआरसी द्वारा अपने सुरक्षा हितों को

लागू करते हुए आस्तियों के पुनर्निर्माण के व्यवसाय के सामान्य क्रम में अर्जित की गई किसी भी भूमि और/या इमारत का निपटान ऐसे अधिग्रहण की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जिसकी एआरसी की बकाया राशि की वसूली के हित में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

8.7 कोई एआरसी जमाओं के माध्यम से धन नहीं जुटाएगी।

खंड III: आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश

आस्ति पुनर्निर्माण

9. वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण

9.1 प्रत्येक एआरसी को सीओआर के अनुदान के नब्बे दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'वित्तीय आस्ति अधिग्रहण नीति' तैयार करनी होगी जो यह उपलब्ध करेगी कि लेनदेन पारदर्शी तरीके से और व्यवस्थित रूप से सूचित बाजार में उचित मूल्य पर हो और उचित सावधानी के साथ निष्पक्ष लेनदेन निष्पादित हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करते हुए नीतियों और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा:

(i) अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में सीधे अधिग्रहण के मानदण्ड और प्रक्रिया;

(ii) आस्तियों के प्रकार और वांछित रूप रेखा (प्रोफाइल);

(iii) मूल्यांकन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि अर्जित आस्ति का वसूली योग्य मूल्य है जो उचित रूप से अनुमानित और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने में सक्षम है; और

(iv) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों के मामले में, उनकी वसूली के लिए योजना बनाने हेतु व्यापक मापदंड ।

9.2 निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या एआरसी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है 9.3 नीति से विचलित हो कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए ।

9.4 दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बोली लगाने से पहले, एआरसी अंतर्निहित आस्तियों की पुष्टि कर खाते की सार्थक समुचित सावधानी के लिए नीलामी बैंकों से कम से कम दो सप्ताह का पर्याप्त समय प्राप्त कर सकते हैं।

9.5 बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त की जाने वाली वित्तीय आस्तियों का हिस्सा अधिनियम में प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित और निष्पक्ष रूप से काम किया जाना चाहिए, जिसके लिए सुरक्षा हित को लागू करने के

उद्देश्य से उधारकर्ता को बकाया राशि का कम से कम 60% रखने वाले सुरक्षित लेनदारों की सहमति की आवश्यकता होती है।

9.6 आसान और तेजी से वसूली के लिए, एक ही देनदार से विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों को देय सभी वित्तीय आस्तियों को अधिग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार, समान संपार्श्विक से जुड़ी वित्तीय आस्तियों को अपेक्षाकृत तेजी से और आसान वसूली सुनिश्चित करने के लिए अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है।

9.7 अधिग्रहण के लिए आस्तियों की सूची में फंड और गैर-फंड आधारित दोनों वित्तीय आस्तियां शामिल की जा सकती हैं। प्रवर्तक की बहियों में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत आस्तियां भी अधिग्रहण कीया जा सकती है।

9.8 वित्तपोषित आस्तियों के अधिग्रहण में आगे उधार देने के लिए किसी बैंक/वित्तीय संस्थान की बकाया प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, का अधिग्रहण शामिल नहीं होना चाहिए। गैर-फंड लेनदेन में सुरक्षा हित के अधिग्रहण की शर्तों में, फंडिंग की मांग आने तक, बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ जारी रखने के लिए सापेक्ष प्रतिबद्धताएं प्रदान की जानी चाहिए।

9.9 जहां तक संभव हो, समान प्रोफ़ाइल की आस्तियों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया एक समान होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाए। आस्तियों के मूल्य के आधार पर, मूल्यांकन या तो आंतरिक रूप से या एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करके किया जा सकता है। आदर्श रूप से, मूल्यांकन को आस्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए अधिकृत समिति को सौंपा जा सकता है, जो पैराग्राफ 9.1 में उल्लिखित वित्तीय आस्ति अधिग्रहण नीति के अनुरूप कार्य कर सकती है।

9.10 एक एआरसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी अन्य एआरसी को वित्तीय आस्ति बेच सकती है:

(i) लेनदेन नकद आधार पर तय किए जाने पर;

(ii) ऐसे लेनदेन के लिए मूल्य की खोज एसआर धारकों के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं हो;

(iii) बेचने वाली एआरसी अंतर्निहित प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के मोचन के लिए प्राप्त आय का उपयोग करेंगे; और

(iv) अंतर्निहित एसआर के मोचन की तारीख और वसूली की कुल अवधि पहले एआरसी द्वारा वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण की तारीख से आठ साल से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

9.11 एआरसी द्विपक्षीय आधार पर निम्नलिखित से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण नहीं करेगी, चाहे जो भी प्रतिफल हो:

(i) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो एआरसी का प्रयोजक है;

(ii) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो या तो एआरसी का ऋणदाता है अथवा जो एआरसी द्वारा अपने परिचालन के लिए जुटायी निधि, अगर हो तो, का अभिदानकर्ता है;

(iii) एआरसी से संबंधित समूह की एक संस्था।

तथापि, वे वित्तीय आस्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी नीलामी पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप से की गई हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा निष्पक्ष रूप से किया गया हो।

10. वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति के लिए योजना

10.1 प्रत्येक एआरसी, योजना अवधि के भीतर, आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार कर सकती है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय प्रदान कर सकती है:

(i) उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण

(ii) उधारकर्ता के व्यवसाय के संपूर्ण या आंशिक भाग की बिक्री या पट्टा

(iii) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों का पुनर्निर्धारण

(iv) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा हित का प्रवर्तन

(v) उधारकर्ता द्वारा देय राशि का निपटान

(vi) ऋण के किसी भी हिस्से को उधारकर्ता कंपनी की इक्विटी में परिवर्तित करना

10.2 एआरसी वित्तीय आस्तियों की वसूली की योजना तैयार करेगी जिसके अंतर्गत वसूली अवधि संबंधित वित्तीय आस्तियों के अर्जन की तारीख से किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10.3 एआरसी का बोर्ड वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ा सकता है ताकि वसूली की कुल अवधि संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक न हो।

10.4 यदि एआरसी उस खाते में उधारदाताओं में से एक है जहां एक समाधान योजना को अंतिम रूप दिया गया है और यह उपर्युक्त खंड 10.3) के अनुसार एआरसी के लिए अनुमत अधिकतम समाधान अवधि से अधिक है, तो एआरसी अन्य प्रतिभूतित ऋणदाताओं के साथ समाधान अवधि को अपना सकती है।

10.5 जैसे भी मामला हो, एआरसी का बोर्ड, उन उपायों को निर्दिष्ट करेगा जो एआरसी द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ 10.2 और 10.3 में संदर्भित समय सीमा में वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूलीकरने के लिए किए जाएंगे।

10.6 अर्हताप्राप्त क्रेता (क्यूबी) अधिनियम की धारा 7(3) के प्रावधानों को केवल ऐसी विस्तारित अवधि के अंत में लागू करने के पात्र होंगे, यदि वसूली की अवधि उपरोक्त पैराग्राफ 10.3 के तहत बढ़ाई जाती है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के उपाय

11. उधारकर्ता के कारोबार प्रबंधन में परिवर्तन अथवा उसका अधिग्रहण

11.1 एआरसी इन दिशानिर्देशों प्रावधानों के अधीन, उधारकर्ता से अपनी देनदारियों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता के कारोबार प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण का सहारा ले सकता है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एआरसी की कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता, भेदभाव रहित और मनमानी का न होना सुनिश्चित करना है और अधिनियम की धारा 9(1)(ए) के तहत एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण करते समय नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का निर्माण करना है। अधिनियम की धारा 9(1)(ए) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय एआरसी इन निर्देशों का पालन करेंगे।उधारकर्ता के कारोबार प्रबंधन का अधिग्रहण करने वाली एआरसी को अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन के अधिग्रहण के तरीके का अनुपालन करने के बाद ऐसा करना होगा।अपने देय की पूरी वसूली होने पर, अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसार एआरसी कारोबार का प्रबंधन उधारकर्ता को पूर्वत कर देगा। हालाँकि, यदि किसी एआरसी ने अपने ऋण के भाग को उधारकर्ता कंपनी के शेयरों में बदल दिया है और इस तरह उधारकर्ता कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी कर ली है, तो एआरसी ऐसे उधारकर्ता को व्यवसाय का प्रबंधन वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11.2 प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण के लिए आधार: एआरसी निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा प्रबंधन का अधिग्रहण करने का हकदार होगा:

(i) उधारकर्ता निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत ऋण समझौते द्वारा देय राशि की चुकौती में चूक करता है:

(ए) पर्याप्त नकदी प्रवाह और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद देय राशि का भुगतान न करना, अथवा,

(बी) बकाया राशि के भुगतान से बचने के लिए ऐसे बैंकों के माध्यम से लेन-देन करना जो उधारदाता/संघीय के सदस्य नहीं हैं, अथवा,

(सी) चूककर्ता इकाई के नुकसान के लिए निधि की हेराफेरी करना, अथवा एआरसी के साथ लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड को गलत तरीके से प्रस्तुत/मिथ्या बनाना।

इस पैराग्राफ के उद्देश्य हेतु, उधारकर्ता द्वारा की गई चूक जानबूझकर और गणना के अनुसार होनी चाहिए जैसा कि उपरोक्त में विस्तार से दिया गया है। एआरसी उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखेगा और उधारकर्ता द्वारा की गई ऐसी चूक के बारे में निर्णय एकल लेनदेन/घटनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो भौतिकनहीं हैं।

(ii) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के प्रबंधन की कार्यशैली से लेनदारों (एआरसी सहित) के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उधारकर्ता लेनदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफल हो रहा है;

(iii) इस बात से एआरसी संतुष्ट है कि उधारकर्ता के करोबार का प्रबंधन इसे चलाने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एआरसी को हानि/देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उधारकर्ता के कारोबार के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को ऐसी रिक्ति की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे उधारकर्ता के कारोबार के वित्तीय स्वास्थ्य अथवा एक जमानती लेनदार के रूप में एआरसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा;

(iv) उधारकर्ता ने जमानती लेनदारों (एआरसी सहित) की पूर्व स्वीकृति के बिना, एआरसी को सुरक्षित अपनी आस्तियों का 10% अथवाा उससे अधिक (कुल) बेचा, निपटान, भारित, ऋणग्रस्त अथवा अलग किया है;

(v) यह मानने के उचित आधार हैं कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत पुनर्भुगतान की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होगा;

(vi) एआरसी की सहमति के बिना उधारकर्ता ने लेनदारों के साथ कोई व्यवस्था या समझौता किया है जो एआरसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा उधारकर्ता ने दिवालियापन का कोई कार्य किया है;

(vii) उधारकर्ता अपने किसी भी ऐसे कारोबार को बंद कर देता है अथवा बंद करने की धमकी देता है जो उसके कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक है;

(viii) उधारकर्ता की सभी अथवा उसके कारोबार अथवा परिचालन के लिए आवश्यक आस्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग उधारकर्ता के कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है;

(ix) उधारकर्ता के कारोबार की सामान्य प्रकृति अथवा इसके दायरे, परिचालन, प्रबंधन, नियंत्रण अथवा स्वामित्व को एक सीमा तक बदल दिया जाता है, जो एआरसी की राय में, उधारकर्ता की ऋण चुकौती की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है;

(x) एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के कारोबार में प्रमोटरों अथवा निदेशकों अथवा भागीदारों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है, जो उधारकर्ता की ऋण चुकौती की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है;

(xi) उधारकर्ता द्वारा उन आस्तियों को अर्जित करने में विफलता जिसके लिए ऋण लिया गया है और उधार ली गई निधि का कथित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग अथवा वित्तपोषित आस्तियों का निपटान और आय का दुरुपयोग या दुर्विनियोजन;

(xii) ऋणदाता/ओं को सुरक्षित आस्तियों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा कपटपूर्ण लेनदेन।

11.3 प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण हेतु शक्तियों का प्रयोग करने की पात्रता शर्तें: उपरोक्त पैराग्राफ 11.2 में दी गई परिस्थितियों में,

(i) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा उसका अधिग्रहण तभी कर सकती है जब उधारकर्ता से उसे प्राप्य राशियाँ उधारकर्ता के स्वामित्व की कुल आस्तियों के 25% से कम न हों; और

(ii) जहाँ उधारकर्ता को एक से अधिक जमानती लेनदारों (एआरसी सहित) ने वित्तीय सहायता दी हो, वहाँ जमानती लेनदारों (एआरसी सहित) बकाया प्रतिभूति रसीदों के कम से कम 60% के धारक हों तथा ऐसी कार्रवाई के लिए सहमत हों ।

स्पष्टीकरण। : **"**कुल आस्तियों**"** का अर्थ कार्रवाई के दिनांक से ठीक पूर्व के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र में प्रकट की गई कुल आस्तियों से है।

11.4 प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण से संबंधित नीती

(i) एआरसी के पास उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी और उधारकर्ताओं को एआरसी की ऐसी नीति से अवगत कराया जाएगा।

(ii) इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

(ए) एआरसी इस संबंध में समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाएगी और प्रक्रिया का ब्योरा दर्ज करेगी जिसमें उन परिस्थितियों का वर्णन होगा जिनके कारण उधारकर्ता ने देय राशियों की अदायगी करने में चूक की और उसके कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण की नौबत क्यों आयी /आवश्यकता क्यों हुई।

(बी) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण केवल तभी किया जाना चाहिए जब प्रस्ताव की जांच एआरसी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा की जाए, जिसमें तकनीकी/वित्तीय/विधिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवर शामिल किए जाएंगे, जो उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, उधारकर्ता से ऋण वसूली के लिए उपलब्ध समय-सीमा, उधारकर्ता के कारोबार की भविष्य की संभावनाओं और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का आकलन करने के बाद एआरसी को सिफारिश करेंगे कि वह उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण का सहारा ले सकता है और ऐसी पहल कारोबार के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक होगी जिससे उसकी देनदारियों की वसूली हो सके।

(सी) एआरसी के कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल को आईएसी की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करना चाहिए और बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहिए, इससे पहले कि यह निर्णय लिया जाए कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण आवश्यक है और निर्णय को विशेष रूप से कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा।

(डी) एआरसी उपयुक्त कर्मियों/एजेंसियों की पहचान करेगा, जो उधारकर्ता के कारोबार के संचालन और प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करके उधारकर्ता के कारोबार का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकें, ताकि एआरसी की बकाया राशि उधारकर्ता से समय सीमा के भीतर वसूल की जा सके।

(ई) इस योजना में उपरोक्त पैराग्राफ 11.1 के अनुसार उधारकर्ता को कारोबार का प्रबंधन पुनः सौंपने की प्रक्रिया, एआरसी द्वारा प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण के समय उधारकर्ता के अधिकार और देयताओं तथा एआरसी के कहने पर उधारकर्ता के कारोबार का प्रबंधन संभालने वाले नए प्रबंधन के अधिकार और देयताएं भी शामिल होंगे। एआरसी द्वारा नए प्रबंधन को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उनकी भूमिका का दायरा उधारकर्ता के कारोबार के मामलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करके एआरसी के बकाया की वसूली तक सीमित है।

स्पष्टीकरण II: आईएसी के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे सदस्यों को किसी भी तरह से एआरसी के मामलों से नहीं जुड़े होने चाहिए और आईएसी के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त एआरसी से कोई भी वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।

11.5 प्रबंधन में परिवर्तन अथवा के अधिग्रहण की प्रक्रिया

(i) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करने/के अधिग्रहण के अपने इरादे से उधारकर्ता को 60 दिन का नोटिस देकर अवगत कराएगी और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगी ।

(ii) यदि उधारकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्तियां उठायी जाती हैं तो प्रारंभ में आईएसी उन पर विचार करेगी और उसके बाद उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ एआरसी के निदेशक बोर्ड को सौपेंगी। एआरसी का निदेशक बोर्ड नोटिस अवधि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर उचित/ तर्क संगत आदेश पारित करेगा जिसमें उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंध में परिवर्तन /के अधिग्रहण के बाबत एआरसी के निर्णय का उल्लेख होगा जिसके बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

12. उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या पट्टे पर देना

कोई भी एआरसी तब तक उक्त अधिनियम की धारा 9 (1)(बी) में विनिर्दिष्ट उपाय अमल में नहीं लाएगी, जब तक कि इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं कर दिये जाते हैं।

13. उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों का पुनर्निर्धारण करना

13.1 प्रत्येक एआरसी उधार लेने वालों से देय ऋणों के पुनर्निर्धारण हेतु व्यापक मापदंड के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नीति बनायेगी;

13.2 सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उनके द्वारा समर्थित होने चाहिए;

13.3 प्रस्तावों से एआरसी का आस्ति देयता प्रबंधन एवं निवेशकों को किए गए वादे भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए;

13.4 निदेशक मंडल, ऋणों की पुनर्निर्धारण करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / अथवा ए आर सी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है;

13.5 नीति से विचलत कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

13.6 ऐसे मामलों में जिनमें एआरसी का किसी उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर है, जिसके संबंध में दिनांक 07 जून 2019 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क की शर्तों के संदर्भ में एक समाधान योजना लागू की जा रही है, तो ऐसे मामलों में एआरसी द्वारा अंतर(आईसीए) समझौता ऋणदाता- पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

14. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

14.1 प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के उद्देश्य से एआरसी को उधारकर्ता को बकाया राशि का कम से कम 60% रखने वाले जमानती लेनदार (एआरसी सहित) की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

14.2 उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री की कार्रवाई करते समय, यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो तो एआरसी उक्त जमानती आस्तियों को अपने उपयोग के लिए अथवा पुनर्बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है।

15.[2] उधारकर्ताओं द्वारा देय राशियों का निपटारा

15.1 प्रत्येक एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं से देय राशि का निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की जाएगी। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी निपटान पात्रता के लिए अंतिम तारीख, निपटान

[2] परिपत्र सं. विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी. 56/26.03.001/2024-25 दिनांक जनवरी 20, 2025

राशि निर्धारित करते समय विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोज़रो के लिए अनुमत त्याग, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यप्रणाली जैसे पहलू को शामिल किया जाएगा।

15.2 उधारकर्ता के साथ निपटान तभी किया जाएगा जब देय वसूलने के सभी संभावित तरीकों की जांच की गई और निपटान को उपलब् में से सर्वोत्तम विकल्प माना जाएगा।

15.3 निपटान राशि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) सामान्यतः प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। यदि वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के समय दर्ज प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और निपटान के समय निर्धारित प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य के बीच कोई सार्थक अंतर है, तो इन कारणों को विधिवत दर्ज किया जाएगा।

15.4 निपटान राशि का भुगतान अधिमानतः एकमुश्त किया जाना चाहिए। जहां निपटान, एक किस्त में सहमत संपूर्ण राशि का भुगतान करने की परिकल्पना नहीं की गई है, वहां प्रस्ताव स्वीकार्य कारोबार योजना (जहां लागू हो), पूर्वा नुमानित उपार्जन और उधारकर्ता के नकदी प्रवाह के अनुरूप और उसके द्वारा समर्थित होना चाहिए।

15.5 एआरसी[3] द्वारा अधिग्रहण के समय अंतरणकर्ता/ओं की बहियों में बकाया मूलधन के संदर्भ में ₹1 करोड़ से अधिक के कुल मूल्य वाले उधारकर्ता से संबंधित खातों का निपटान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा जो निम्नलिखित के सशर्त होगा:

ए) उधारकर्ता के साथ देय राशि का निपटान प्रस्ताव स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी)[4] द्वारा जांच के बाद ही किया जाएगा, जिसमें तकनीकी/वित्त/विधिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवर शामिल होंगे। उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, उधारकर्ता से देय राशि की वसूली के लिए उपलब्ध समय सीमा, उधारकर्ता की पूर्वा नुमानित उपार्जन तथा नकदी प्रवाह और अन्य प्रासंगिक पहलू का आकलन करने के बाद, आईएसी द्वारा उधारकर्ता के साथ देय राशि के निपटान के संबंध में एआरसी को अपनी सिफारिश दी जाएगी।

[3] 1 करोड़ रुपये की सीमा एआरसी द्वारा अंतरणकर्ता /ओं से प्राप्त उधारकर्ता के सभी खातों का कुल बकाया मूलधन होगा।

[4] मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, एआरसी को उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में बदलाव अथवा अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए आईएसी का गठन करना आवश्यक है। यह आईएसी इस परिपत्र के तहत उधारकर्ता के साथ बकाया राशि के निपटान के प्रस्तावों की जांच करेगी।

बी) निदेशक मंडल जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक अथवा बोर्ड की एक समिति शामिल है जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है [5], आईएसी की सिफारिशो पर विचार-विमर्श करेंगे और यह निर्णय लेने से पहले कि क्या उधारकर्ता के साथ देयों के निपटान का विकल्प मौजूदा परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प है, देय राशियों की वसूली के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे, और निर्णय, विस्तृत तर्क के साथ, विशेष रूप से बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।

15.6 एआरसी द्वारा अधिग्रहण के समय अंतरणकर्ता /ओं की बहियों में बकाया मूलधन के संदर्भ में ₹ 1 करोड़ अथवा उससे कम मूल्य वाले उधारकर्ता से संबंधित खातों का निपटान, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, जो निम्नलिखित के सशर्त है:

ए) कोई भी अधिकारी जो संबंधित वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण (एक व्यक्ति अथवा एक समिति के भाग के रूप में) का भाग था, किसी भी क्षमता में उसी वित्तीय आस्ति के निपटान के प्रस्ताव को प्रसंस्करण / अनुमोदिन करने का भाग नहीं होगा।

बी) इन खातों के समाधान पर एक तिमाही रिपोर्ट बोर्ड/ बोर्ड की समिति के समक्ष रखी जाएगी जो पैरा 15.5 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

सी) बोर्ड एक उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके: (i) निपटान का समझौता के अधीन खातों की संख्या और राशियों की प्रवृत्ति (तिमाही-दर-तिमाही और वर्ष-दर-वर्ष); (ii) उपरोक्त (i) में से, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी, इरादतन चूक के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विवरण; (iii) राशि-वार, अधिग्रहण प्राधिकरण-वार और ऐसे खातों के कारोबार खंड / आस्ति-वर्ग-वार समूहीकरण; (iv) ऐसे खातों में वसूली की मात्रा और समय-सीमा।

---

[5] समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं और इसमें अध्यक्ष सहित, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होते हैं; समिति में बोर्ड की कुल क्षमता कम से कम एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, शामिल हैं, और समिति की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं; समिति पूर्ण बोर्ड द्वारा बनाई और अधिदेशित की जाती है; और समिति के निर्णय, औचित्य के साथ कार्यवृत्त में दर्ज किए जाते हैं और त्रैमासिक अंतराल पर बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

15.7 धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं द्वारा देयों के निपटान के लिए, उपर्युक्त पैरा 15.5 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश लागू होंगे, इसमें चाहे कितनी भी राशि शामिल हो। एआरसी इरादतन चूककर्ताओं या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही दांडिक कार्यवाही के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बकाया राशि का निपटान कर सकते हैं।

15.8 अन्य विधिक प्रावधान

(i) उपर्युक्त ढांचे के अंतर्गत उधारकर्ताओं के साथ निपटान का समझौता, प्रवृत्त किसी अन्य संविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी एआरसी ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की थी और वह ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी निपटान, संबंधित न्यायिक अधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।

16. ऋण के किसी हिस्से को उधारकर्ता इकाई के शेयरों के रूप में परिवर्तन

16.1 एआरसी को निदेशक मंडल से अनुमोदित नीति बनाना होगा जिसमें ऋण को उधारकर्ता इकाई के शेयर में परिवर्तन के लिए व्यापक मापदंड निर्धारित हो;

16.2 वित्तीय आस्तियों के मामले में जिसमें पुनर्रचना के बाद कायापलट की संभावना बनती है किंतु सामान्यत: यह वृहद चूक और ऋण के अनससटेनबल स्तर के साथ होती है अत: यह आवश्यक है कि विस्तृत कारोबार योजना के मूल्यांकन तथा परिचालन की अनुमानित स्तर के आधार पर इसे ऋण की ससटेनबल स्तर तक लाया जाए, जिसे कंपनी द्वारा सेवा प्रदान की जा सकती है । अवशिष्ट अनससटेनबल ऋण के हिस्से को इष्टम ऋण इक्विटी संरचना के लिए इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। तथापि एआरसी को उधारकर्ता कंपनी के ऋण को शेयर में परिवर्तन के माध्यम से कायापलट करने का महत्वपूर्ण अधिकार अथवा अनुमति है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उधारकर्ता कंपनी को परिचालित कर रहे है। पुनर्निर्माण के तहत कंपनी का पोस्ट परिवर्तित इक्विटी एआरसी के शेयर धारण के 26% से अधिक नहीं होना चाहिए।

16.3 तथापि नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली एआरसी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर एआरसी के लिए लागू दिशानिर्देश / निर्देश और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, कंपनी अधिनियम,

2013,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियमावली और अन्य सम्बद्ध कानून के पालन के अधीन, 26% की सीमा से छूट दी गयी है। ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के पश्चात शेयरधारिता की सीमा उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा के अनुसार होगी।

(i) एआरसी को निरंतर आधार पर निर्धारित एनओएफ आवश्यकता का अनुपालन करना होगा;

(ii) एआरसी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए;

(iii) एआरसी ऋण-से-इक्विटी रूपांतरण के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली समिति को अधिकार देगी; और

(iv) इस योजना के अंतर्गत अधिग्रहित इक्विटी शेयरों को समय-समय पर मूल्यांकित और बाजार मूल्य से निर्धारित किया जाएगा। मूल्य निर्धारण की आवृत्ति महीने में कम से कम एक बार होगी।

16.4 एआरसी, कंपनियों के प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट की ऐसी प्रबंधन कंपनियों / व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने की संभावना पर विचार कर सकती है, जिसे इकाइयां /कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

17. प्रतिभूतिकरण

17.1 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की विशेषताएं

(i) एसआर को सख्ती से ऋण साधन के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताओं को मिलाते हैं। हालाँकि, इन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) मूल्य और अंतराल के तहत अंतर्निहित आस्तियों से नकदी प्रवाह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता

(iii) यह लिखत, जब रेटिंग प्राप्त करते हैं, तो आम तौर पर निवेश ग्रेड से नीचे होते हैं। यह लिखत निजी तौर पर रखे गया हैं।

17.2 एसआर जारी करना

(i) एआरसी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) के उपबंधों को, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गये एक अथवा अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी। इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त एआरसी के पास रहेगी

(ii) एसआर जारी करने का प्रस्ताव करने वाली एआरसी को ऐसे जारी करने से पहले ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई प्रत्येक योजना के तहत एसआर जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iii) यदि आस्तियां ट्रस्ट की बही में सीधे अर्जित नहीं की गई हैं तो एआरसी उक्त ट्रस्टों को उस कीमत पर आस्तियां हस्तांतरित करेगा जिस पर वह आस्तियां प्रवर्तक से अर्जित की गई थीं।

(iv) ट्रस्ट केवल क्यूबी को ही एसआर जारी करेंगे और ऐसे एसआर केवल अन्य क्यूबी के पक्ष में ही हस्तांतरणीय/समनुदेशित करने योग्य होंगे।

(v) ट्रस्ट क्यूबी के लाभ के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण और प्रशासित करेंगे।

17.3 एआरसी द्वारा शुरू किए गए ट्रस्टों से जारी एसआर में निवेश

एआरसी, निधि हस्तांतरण द्वारा एसआर में हस्तांतरणकर्ताओं के एसआर में किए गए निवेश का कम से कम 15% अथवा जारी आधार पर प्रत्येक योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए एसआर के प्रत्येक वर्ग के जारी किए गए कुल एसआर का 2.5%, जो कोई उच्चतर हो, निवेश करेंगे । उपर्युक्त निवेश ऐसी योजना के तहत जारी किए गए सभी एसआर के पुन:प्राप्ति तक किया जाएगा।

17.4 एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग

(i) प्रत्येक एआरसी को अनिवार्य रूप से आस्यिों के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर सेबी पंजीकृत सीआरए से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग/ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी और उसके द्वारा जारी एसआर का निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) घोषित करना होगा। इसके उपरांत, एआरसी को प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को सीआरए से एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग की समीक्षा करानी होगी और एसआर का एनएवी तत्काल घोषित करना होगा, ताकि क्यूबी एसआर में अपने निवेश का मूल्यांकन कर सकें।

(ii) रेटिंग को विशेष रूप से विकसित रेटिंग स्केल पर दिया जाएगा जिसे 'रिकवरी रेटिंग (आरआर) स्केल' कहा जाता है। रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी में रिकवरी की एक सहयोगी रेंज

होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा, जिसका उपयोग एसआर के एनएवी जानने के लिए किया जा सकता है। सीआरए द्वारा रिकवरी की संबद्ध रेंज को प्रतीक आवंटित किए जाने चाहिए, जो एक निर्दिष्ट प्रतिशत अंकों से विचलित नहीं होंगे जैसे (+/-) 10%। रेटिंग सांकेतिक होगी। रेटिंग/ग्रेडिंग 'डिफ़ॉल्ट' के बजाय 'रिकवरी जोखिम' पर आधारित होनी चाहिए, जो सामान्य आस्तियों में रेटिंग का आधार है, अर्थात समय पर भुगतान के स्थान पर कितना अधिक वसूल किया जा सकता है। रेटिंग को भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशित वसूली के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(iii) मूल ऋण दायित्व को ध्यान में रखकर नहीं अपितु रिकवरी रेटिंग का मूल्यांकन किसी अन्य प्रासंगिक दायित्व को ध्यान में रखकर किया जाएगा। रिकवरी रेटिंग निर्धारित करते समय जिन अन्य प्रमुख कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह हैं अर्जित ऋण की सीमा, ऋणदाताओं की संरचना, उपलब्ध संपार्श्विक, ऋण की सुरक्षा और वरिष्ठता, संस्थागत ऋणदाता के मुकाबले व्यक्तिगत ऋणदाता, अनुमानित नकदी प्रवाह, प्रारंभिक अवधि में अपेक्षित नकदी प्रवाह को प्राप्त करने में अनिश्चितता, प्रबंधन, कारोबार जोखिम, वित्तीय जोखिम आदि। रिकवरी रेटिंग समय-समय पर एआरसी की समाधान रणनीति में बदलाव जैसे बदलावों को भी दर्शाएगी।

(iv) रिकवरी रेटिंग में न केवल समग्र रूप से योजना के एसआर की रेटिंग शामिल होनी चाहिए, बल्कि जहां भी संभव हो, योजना में प्रत्येक घटक का पृथक्करण शामिल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि योजना में बास्केट बनाने वाली प्रत्येक इकाई की अंतर्निहित आस्तियों को भी रेटिंग दी जानी चाहिए।

(v) एआरसी को सीआरए से रेटिंग के पीछे की धारणाओं और तर्क का खुलासा करने की आवश्यकता होगी और उन्हें एसआर धारकों के समक्ष इनको प्रकट करना होगा।

(vi) एआरसी को कम से कम छह रेटिंग चक्रों (प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के) के लिए सीआरए बनाए रखना होगा। यदि इन छह रेटिंग चक्रों द्वारा मध्य में सीआरए में परिवर्तन किया जाता है, तो एआरसी को ऐसे परिवर्तन का कारण बताना होगा।

17.5 एनएवी की घोषणा के लिए एसआर के मूल्यांकन की पद्धति:

रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी में रिकवरी की एक सहयोगी सीमा होगी, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा, जिसका उपयोग एसआर के एनएवी की गणना के लिए किया जा सकता है। एनएवी, एसआर को प्रदत्त रेटिंग से संबंधित रिकवरी सीमा के भीतर ही रहेगी। एआरसी को अपने रिकवरी अनुभव के आधार पर सीआरए द्वारा दर्शाई रिकवरी सीमा के तहत एक विशेष प्रतिशत चुनना चाहिए। एआरसी द्वारा चुने गए रिकवरी रेटिंग प्रतिशत को एसआर के अंकित मूल्य से गुणा करने पर एनएवी प्राप्त होगी। एआरसी को रिकवरी रेटिंग के विशेष प्रतिशत के चयन के लिए तर्क प्रकट किया जाना चाहिए।

उदाहरण: यदि रिकवरी की सीमा 81% - 90% के बीच है, तो एआरसी अपने निर्णय के आधार पर 87% तक की वृद्धि कर सकता है। यदि एसआर का अंकित मूल्य ₹10 है, तो अंकित मूल्य को रिकवरी प्रतिशत, अर्थात् 87% से गुणा करके एनएवी ₹8.70 प्राप्त की जाएगी।

17.6 पुनर्निमाण समर्थन वित्त: निम्नलिखित शर्तों के अधीन एआरसी को क्यूबी द्वारा संबंधित योजना के तहत अर्जित की गई वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधि के भाग का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है:

(i) रू 500 करोड़ रुपये से अधिक की अधिग्रहीत आस्ति वाली एआरसी एक योजना के तहत निधि जारी कर सकती हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार क्यूबी से जुटाई गई धनराशि के भाग का उपयोग ऐसी निधि से अर्जित वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के परिकल्पना के लिए की गई है।

(ii) पुनर्निमाण के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का विस्तार, उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार योजना के तहत जुटाई गई राशि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। पुनर्निमाण के उपयोग के उद्देश्य से अर्जित की गई निधि (25% की उच्चतम सीमा में) को योजना के प्रारंभ में बताया जाना चाहिए। इसके बाद पुनर्निमाण उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का लेखांकन अलग से किया जाना चाहिए।

(iii)प्रत्येक एआरसी को ऐसी योजनाओं के लिए क्यूबी से अर्जित निधि के उपयोग हेतु अपने निदेशक मंडल से विधिवत मंजूरी के साथ नीति बनाना चाहिए जिसमें विस्तृत मानदंड निहित हो।

17.7 प्रकटीकरण: प्रतिभूति रसीदें(एसआर) जारी करने की इच्छुक प्रत्येक एआरसी **अनुबंध।** में उल्लिखित अनुसार प्रकटीकरण करेगी।**.**

खंड IV: विवेकपूर्ण विनियमन

18. पूंजी पर्याप्तता अनुपात: प्रत्येक एआरसी निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कायम रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के उद्देश्य से पूंजी का वही अर्थ होगा जो एनओएफ का है। जोखिम-भारित आस्तियों की गणना तुलन-पत्र और तुलन-पत्र बाह्य मदों के भारित योग के रूप में की जाएगी, जैसा कि नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार की जायेगी:

तुलनपत्र की मदें		**जोखिम भार(%)**
(i)	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/सिडबी / नाबार्ड में नकदी और जमाराशि	0
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
(iii)	अन्य एआरसी के शेयर में	0
(iv)	अन्य सभी आस्तियां (आरओयू परिसंपत्ति सहित)	100
तुलनपत्र बाह्य मदें		
(v)	सभी आकस्मिक देयताएं	50

नोट: एनओएफ निकालने के लिए स्वाधिकृत निधि से कटौती गई आस्तियों का जोखिम भार 0% होगा।

19. आस्ति वर्गीकरण

19.1 प्रत्येक एआरसी, सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की डिग्री और वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपनी बही में रखी गई आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी , अर्थात्:

(i) मानक आस्तियां; और

(ii) अनर्जक आस्तियां

19.2 अनर्जक आस्तियों को आगे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(i)'अवमानक आस्ति' वह आस्ति है जिसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख से 12 महीने से अधिक न हुआ हो;

(ii) 'संदिग्ध आस्ति' वह आस्ति है जिसे अवमानक आस्ति बने 12 महीने से अधिक हुआ हो;

(iii) "हानिगत आस्ति" यदि-

(ए) 36 महीने से अधिक अवधि के लिए आस्ति अनर्जक रहती है;

(बी) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट के कारण अथवा उसके उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हो;

(सी) एआरसी अथवा उसके आंतरिक या वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा आस्ति को "हानिगत आस्ति" के रूप में पहचाना गया हो; अथवा

(डी) एसआर सहित वित्तीय आस्ति की प्राप्ति एआरसी द्वारा अनुच्छेद 10.2 या 10.3 के तहत तैयार की गई प्राप्ति योजना में निर्दिष्ट कुल समय सीमा के भीतर नहीं होती है और एआरसी अथवा संबंधित ट्रस्ट उन आस्तियों को धारण करना जारी रखता है।

19.3 एआरसी द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी आस्तियों को योजना अवधि के दौरान, यदि कोई हो, मानक आस्तियों के रूप में माना जा सकता है।

19.4 जब किसी एआरसी द्वारा मानक आस्ति से संबंधित ब्याज और/अथवा मूलधन के संबंध में करार की शर्तों का फिर से सौदा किया गया हो अथवा उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया हो (योजना अवधि के दौरान से अलग) तो संबंधित आस्ति को फिर से सौदा / पुनर्व्यवस्थित किये जाने की तारीख से अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा अथवा जैसी भी स्थिति हो उसे अवमानक अथवा संदिग्ध आस्ति के रूप में बने रहने दिया जायेगा ।आस्ति को पुनः सौदा की हुई /पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अनुसार 12 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के बाद ही मानक आस्ति के रूप में कोटी उन्नत किया जा सकता है ।

20.प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं : प्रत्येक एआरसी अनर्जक आस्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेगी:

आस्ति की श्रेणी	**अपेक्षित प्रावधान**	
अवमानक आस्तियां	बकाया राशि पर 10% का सामान्य प्रावधान	
संदिग्ध आस्तियां	(i)	उस सीमा तक 100% प्रावधान, जिस सीमा तक आस्ति प्रतिभूति के अनुमानित प्राप्य मूल्य द्वारा कवर नहीं की जाती है

	(ii)	उपर्युक्त मद (i) के अतिरिक्त, शेष बकाया राशि का 50%
हानिगत आस्तियां	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाला जायेगा।	
	(यदि किसी कारण से उक्त आस्ति को बहियों में रखा जाता है तो उसके लिए 100% का प्रावधान किया जायेगा)	

खंड V: शासन एवं आचारण

21. बोर्ड और प्रबंधन

21.1 निदेशकों और सीईओ के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड

(i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक(एमडी)/मुख्य कार्यापालक अधिकारी(सीईओ) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। एआरसी, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य 'उचित और उपयुक्त' मानदंडों के आधार पर पद के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारण हेतु समुचित सावधानी बर्तेगी। इस प्रयोजन के लिए, एआरसी द्वारा नियुक्त/मौजूदा निदेशकों और एमडी/सीईओ से परिशिष्ट II में संलग्न प्रारूप में आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा घोषणाओं की छानबीन की जाएगी। [6]ए आर सी को सूचित किया जाता है कि वह रिक्तियां निकालने/नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग[7] को विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध III और अनुबंध IV में उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करें। यदि आवश्यक है तो रिज़र्व बैंक आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

(ii) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वार्षिक आधार पर निदेशकों/एमडी/सीईओ से अद्यतन जानकारी के साथ परिशिष्ट II में घोषणा प्राप्त की जाएगी। परिशिष्ट II के पैराग्राफ 3 और 4 में मदों के संदर्भ में स्थिति में किसी भी परिवर्तन को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग को उसके विचार के लिए सूचित किया जाएगा।

(iii) एआरसी को निदेशकों से एआरसी में शामिल होने के समय अनुबंध V में संलग्न प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, जो उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करेगा। यह विलेख एआरसी द्वारा संरक्षित किया जाएगा और जब भी मांगा जाए, रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

---

[6] परिपत्र सं. डीओआर.जीओवी.आरईसी.79/18.10.006/2023-24 दिनांकित 27 फरवरी, 2024

[7] निम्नलिखित दिए गए पते/ई-मेल आई डी में: विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय ,मुख्य भवन,बारहवीं/तेरहवीं मंजिल, शहीद भगत सिंह रोड ,फोर्ट, मुंबई -400001; टेली: 22661602/ 22601000; ई-मेल: govcbnbfcdor@rbi.org.in

21.2 प्रबंध निदेशक (एमडी)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की आयु: कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से अधिक हो जाने पर एमडी/सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी के पद पर लगातार कार्यरत नहीं रहेगा। 70 वर्ष की समग्र सीमा के भीतर, उनकी आंतरिक नीति के भाग के रूप में, एआरसी के बोर्ड सेवानिवृत्ति की कम आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

21.3 एमडी/सीईओ और डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल: एमडी/सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा और वह व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि, एमडी/सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी का पद लगातार पंद्रह वर्ष से अधिक समय तक एक ही पदाधिकारी के पास नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत, व्यक्ति उसी एआरसी में एमडी/सीईओ अथवा डब्ल्यूटीडी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए तीन वर्ष के न्यूनतम अंतराल के बाद, अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक और वांछनीय समझा जाता है, तो पात्र होगा । इन तीन वर्षों की विराम अवधि के दौरान, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में एआरसी में नियुक्त अथवा संबद्ध नहीं किया जाएगा। एआरसी उत्तराधिकार की योजना सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी।

21.4 निदेशक मंडल की अध्यक्षता और बैठकें: बोर्ड के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) बोर्ड की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, से होगी। इसके अलावा, बोर्ड की बैठकों में शामिल होने वाले निदेशकों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

21.5 कार्यनिष्पादन की समीक्षा: एमडी/सीईओ और डब्ल्यूटीडी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।

21.6 बोर्ड की समितियाँ: बोर्ड द्वारा निरीक्षण को मजबूत करने के लिए, सभी एआरसी, बोर्ड की निम्नलिखित समितियों का गठन करेंगे:

(i) लेखा परीक्षा समिति: एआरसी, बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी, जिसमें केवल गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। लेखापरीक्षा समिति की तीन सदस्यों की गणपूर्ति के साथ तिमाही में कम-से-कम एक बैठक होगी। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की

अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेखापरीक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य के पास वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उससे जुड़ी टिप्पणियों/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम-से-कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन अथवा वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक प्रोफेशनल विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्धारित शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य होंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता, विशेष रूप से आस्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और एआरसी द्वारा अपनाए गए आस्ति पुनर्निर्माण उपायों और उससे संबंधित मामलों के संबंध में समीक्षा और मूल्यांकन करेगी । लेखापरीक्षा समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रबंधन शुल्क/प्रोत्साहन/व्यय का लेखांकन लागू विनियमों के अनुपालन में है अथवा नहीं।

(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति: एआरसी, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी, जिसके पास वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, समिति प्रस्तावित/ विद्यमान निदेशकों और प्रायोजकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करेगी।

22. प्रायोजकों/निवेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड

22.1 एआरसी के प्रायोजकों की उपयुक्तता और उचित स्थिति के निर्धारक: यह निर्धारित करने के लिए कि प्रायोजक उपयुक्त और उचित है अथवा नहीं, रिज़र्व बैंक द्वारा सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(i) प्रायोजक की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, ट्रैक रिकॉर्ड और लागू विधियों और विनियमों का अनुपालन;

(ii) प्रायोजक के साथ जुड़े व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के समान मूल्यांकन के अलावा, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन, अखंडता के मानकों के अनुरूप व्यवसाय संचालन के लिए प्रायोजक का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा;

(iii) प्रायोजक का व्यावसायिक रिकॉर्ड और अनुभव;

(iv) अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत और स्थिरता और वित्तीय बाजारों तक पहुंच की क्षमता; और

(v) शेयरधारिता करार और एआरसी के नियंत्रण और प्रबंधन पर उनका प्रभाव।

22.2 प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रायोजकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

(i) किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी: अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म I (भाग ए, बी और सी) के अनुसार स्व-घोषणा।

(ii) कानूनी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी: अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म I (भाग ए, बी, सी और डी) के अनुसार स्व-घोषणा।

(iii) एआरसी द्वारा अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म I (भाग ई) के अनुसार अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22.3 विद्यमान प्रायोजकों के मामले में सम्यक तत्परता के लिए निरंतर निगरानी व्यवस्था

(i) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उसके सभी प्रायोजक उपयुक्त और उचित हों, प्रत्येक एआरसी द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाएगा

(ए) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर अपने सभी प्रायोजकों से अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म I में एक घोषणा प्राप्त की जाए

(बी) प्रायोजक की स्थिति में परिवर्तन पर रिज़र्व बैंक को प्रत्येक वर्ष मई के अंत तक अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म III में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(ii) प्रत्येक एआरसी द्वारा प्रायोजकों के बारे में किसी भी जानकारी की जांच की जाएगी जो उसके ध्यान में आ सकती है जो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे शेयरों को रखने के लिए उपयुक्त और उचित नहीं बना सकती है और उक्त के संबंध मे रिज़र्व बैंक की तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

22.4. शेयरों के अंतरण द्वारा प्रबंधन में किसी प्रकार का पर्याप्त परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना

(i) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित नियम और शर्तों में निहित प्रतिकूल तथ्यों के बावजूद भी, एआरसी को अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी जिसके परिणामस्वरूप केवल निम्नलिखित मामलों के प्रबंधन में पर्याप्त परिवर्तन होता है-

ए) शेयरों के किसी भी अंतरण अथवा नए सिरे से जारी करने के परिणामस्वरूप एक नया प्रायोजक प्राप्त होता है

बी) शेयरों के किसी भी अंतरण अथवा नए शेयरों के जारी करने के परिणामस्वरूप विद्यमान प्रायोजक की समाप्ति हो जाती है

सी) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रायोजक द्वारा एआरसी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का द्स प्रतिशत अथवा उससे अधिक का समग्र अंतरण।

स्पष्टीकरण III: इस खंड के प्रयोजनार्थ, एआरसी द्वार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक अंतरण को अंतरण माना जाएगा यदि प्रायोजक द्वारा किया गया सभी अंतरण उस अंतरण के पूर्व किया गया हो और जिसमें एआरसी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का दस प्रतिशत तथा उससे अधिक का अंतरण शामिल हो।

(ii) एआरसी की शेयरधारिता में बदलाव के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी के लिए एआरसी को अनुबंध VI में दिए गए फॉर्म II और ऊपर पैराग्राफ 22.2 में उल्लिखित जानकारी के साथ आवेदन करना होगा।

(iii) रिज़र्व बैंक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रायोजक उपयुक्त और उचित है अथवा नहीं, इसका आकलन करने के लिए अन्य घरेलू और साथ ही विदेशी नियामकों और प्रवर्तन और जांच एजेंसियों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) मांगा जाएगा।

22.5 एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकार से एआरसी में निवेश [8]

(i) गैर-अनुपालक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) क्षेत्राधिकार[9], से अथवा उसके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे विद्यमान एआरसी में अथवा सीओआर चाहने वाली कंपनियों में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती में 'महत्वपूर्ण प्रभाव' प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, कुल मिलाकर ऐसे न्यायक्षेत्रों से नए निवेशक (प्रत्यक्ष

[8] दिनांक 12 फरवरी 2021का परिपत्र संख्या डीओआर.सीओ.एलआईसी.सीसी नंबर 119/03.10.001/2020-21

[9] एफएटीएफ समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: (ए) कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, और (बी) बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार। एक क्षेत्राधिकार, जिसका नाम उपर्युक्त 2 सूचियों में नहीं आता है, उसे एफएटीएफ अनुपालन क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) एआरसी की वोटिंग शक्ति (संभावित[10] वोटिंग शक्ति सहित) की 20% की सीमा से कम होने चाहिए।

(ii) एआरसी में विद्यमान निवेशक 12 फरवरी 2021 तक स्रोत अथवा मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार के वर्गीकरण से पहले अपने निवेश को एफएटीएफ गैर-अनुपालन के रूप में रखते हुए निवेश जारी रख सकते हैं अथवा विद्यमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश ला सकते हैं ताकि भारत में व्यापार की निरंतरता का समर्थन किया जा सके।

23. उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी)

23.1 सभी हितधारकों के साथ कारोबार करते समय पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'उचित व्यवहार संहिता' (एफ़पीसी) लागू करें। एफ़पीसी का सही मायनों में अनुपालन होना चाहिए और बोर्ड द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएँ। निम्नलिखित पैराग्राफ में न्यूनतम विनियामक अपेक्षा प्रदान की गई हैं जबकि प्रत्येक एआरसी का बोर्ड इसके दायरे और कवरेज का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है:

(i) आस्तियों के अधिग्रहण में एआरसी द्वारा पारदर्शी और भेदभाव रहित प्रथाओं का पालन किया जाएगा। इन्हें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अहस्तक्षेपीत बनाए रखनी होगी ।

(ii) प्रतिभूतित आस्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए,

ए) नीलामी में भाग लेने के लिए निमंत्रण सार्वजनिक रूप से मंगाए जाए; प्रक्रिया में अधिक से अधिक संभावित खरीदारों की भागीदारी सुनिश्चित करे;

बी) ऐसी बिक्री के नियम और शर्तें, अधिनियम के अनुसार एसआर में निवेशकों के साथ व्यापक परामर्श से तय की जाएँ ; और

सी) एआरसी संभावित खरीदारों से व्यवहार करते समय आईबीसी की धारा 29ए[11] का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

---

[10] संभावित वोटिंग शक्ति उन उपकरणों से उत्पन्न हो सकती है जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, आकस्मिक वोटिंग अधिकार वाले अन्य उपकरण, संविदात्मक व्यवस्था आदि जो निवेशकों को भविष्य में वोटिंग अधिकार (आकस्मिक वोटिंग अधिकार सहित) प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकार से नया निवेश दोनों (i) मौजूदा वोटिंग शक्तियों का 20% और (ii) मौजूदा और संभावित वोटिंग शक्तियों का 20% से कम है, यह मानते हुए कि संभावित वोटिंग अधिकार भौतिक हो गए हैं।.

[11] 7ऐसे व्यक्ति जिन्हें समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य माना जाता है, जैसे, (i) गैर-मुक्त दिवालिया, (ii) जानबूझकर चूक करने वाले, (iii) एक वर्ष से अधिक समय से एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का प्रबंधन/नियंत्रण करने वाले व्यक्ति, (iv) किसी भी मामले में दोषी

(iii) एआरसी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर अथवा ऋण की बकाया राशि की प्राप्ति पर सभी प्रतिभूतियां जारी करेगी, बशर्ते कि उधारकर्ता के खिलाफ किसी अन्य दावे से संबन्धित कोई वैध अधिकार अथवा धारणाधिकार न हो। यदि इस प्रकार समंजन किया जाता है तो शेष दावों और एआरसी को संबन्धित दावों के निपटान/चुकौती तक प्रतिभूतियों को रखने के लिए पात्र बनाने वाली शर्तों का पूर्ण विवरण सहित नोटिस उधारकर्ता को देना होगा।

(iv) एआरसी प्रबंधन शुल्क, व्यय और प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो, जो उनके प्रबंधन वाले ट्रस्टों से दावा किया जाता है, के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति लागू करेगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रबंधन शुल्क उचित एवं वित्तीय लेनदेन के अनुपात में है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण अथवा प्रतिभूतिकरण गतिविधि के लिए लगाया गया कोई भी प्रबंधन शुल्क/प्रोत्साहन अंतर्निहित वित्तीय आस्तियों की वसूली से ही आएगा। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत प्रबंधन शुल्क/प्रोत्साहन पर मात्रात्मक कैप/सीमा का संकेत दिया जाएगा, किसी भी परिवर्तन के लिए बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(vi) अपनी किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने के इच्छुक एआरसी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आउटसोर्सिंग नीति लागू करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों एवं सेवा प्रदाताओं के चयन संबंधी मानदंड, जोखिम और भौतिकता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों/सेवाप्रदाताओं के संचालन की निगरानी और समीक्षा शामिल है। एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण अपने ग्राहकों और रिजर्व बैंक के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में कमी न आये और न ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा उत्पन्न हो। आउटसोर्स एजेंसी का स्वामित्व/नियंत्रण यदि एआरसी के किसी निदेशक के पास है, तो यह सूचना मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण के पैराग्राफ 27 में दिए गए अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाए।

(vii) ऋण वसूली के मामले में, एआरसी देनदारों का उत्पीड़न नहीं करेंगी । एआरसी, ग्राहकों से उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेगी।

पाए गए व्यक्ति दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, (v) कंपनी अधिनियम के तहत अयोग्य निदेशक, (vi) सेबी द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने से प्रतिबंधित व्यक्ति, (vii) ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध अधिमान्य / कम मूल्यांकित / जबरन वसूली क्रेडिट/धोखाधड़ी लेनदेन के लिए निर्णय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है, (viii) कॉर्पोरेट देनदार के गारंटर जिनके विररूढ़ IBC के तहत दिवालियापन समाधान के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है, (ix) भारत के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में किसी भी कानून के तहत उपरोक्त सूचीबद्ध असमर्थता के अधीन व्यक्ति, और (x) व्यक्तियों को धारा 29 ए के तहत उल्लिखित अपात्र व्यक्तियों से सम्बद्ध किया गया।

ए) एआरसी वसूली एजेंटों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता लागू करेगी और उस संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनसे लिखित वचन लेगी । प्रमुख होने के नाते, अपने वसूली एजेंटों की कार्रवाइयों के लिए एआरसी जिम्मेदार होगी।

बी) यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें।

सी) एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वसूली एजेंट अपनी जिम्मेदारियों को सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ संचालित के लिए, विशेष रूप से फोन करने का समय, ग्राहक की सूचनाओं की गोपनीयता आदि के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंट असभ्य, अनुचित और आपत्तीजनक व्यवहार अथवा वसूली प्रक्रिया को न अपनाएं।

डी) [12]एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वे अथवा उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक अथवा शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी अथवा उत्पीड़न का सहारा नहीं ले, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा देनदारों के परिवार के सदस्यों, रेफरी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देना, मोबाइल पर अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना और / अथवा गुमनाम कॉल करना, लगातार[13] उधारकर्ता को कॉल करना और / अथवा अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है।

(viii) एआरसी को संगठन के भीतर शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना चाहिए। एआरसी के नामित शिकायत निवारण अधिकारी के नाम और संपर्क नंबर का उल्लेख उधारकर्ताओं के साथ पत्राचार में किया जाना चाहिए। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाए। एआरसी की शिकायत निवारण प्रणाली आउटसोर्स एजेंसी और वसूली एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, यदि कोई हो तो, से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करेगी।

(ix) एआरसी केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता, हमेशा बनाए रखेगी और समूह में अन्य कंपनियों सहित किसी को भी इसका प्रकट नहीं

---

[8] 12 अगस्त 2022 को जारी परिपत्र विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23

[13] उदाहरण के लिए- बार-बार कॉल करना

करेगी- (क) विधिक अपेक्षा; (ख) सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्य अथवा (ग) उधारकर्ता की अनुमति।

(x) एफपीसी का अनुपालन बोर्ड द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन होगा।

23.2 एफपीसी को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

23.3 एआरसी को 13 सितंबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि. एमसीएस. आरईसी.38/ 01 .01 .001 /2023 -24 के माध्यम से 'जिम्मेदार ऋण आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल आस्ति दस्तावेज जारी करना' पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

खंड VI: लेखांकन और प्रकटीकरण

24. लेखांकन से संबंधित दिशानिर्देश

24.1 प्रत्येक एआरसी को प्रति वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता तैयार करना होगा। एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे अपने तुलनपत्र में एक वर्ष के भीतर देय सभी देनदारियों को 'वर्तमान देनदारियों' के रूप में वर्गीकृत करें और नकदी और बैंक शेष के साथ एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों को 'वर्तमान आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत करें।

24.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाई गई लेखांकन नीतियां रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप होंगी।

24.3 जहां कोई भी लेखांकन नीति इन दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, वहां निकासी के विवरण का प्रकटीकरण उसके कारणों और उसके कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव के साथ किया जाएगा। जहां ऐसा प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां कारणों का हवाला देते हुए तथ्य का प्रकटीकरण किया जाएगा।

24.4 तुलनपत्र अथवा लाभ और हानि खाते में किसी मद के अनुचित उपचार को, इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण अथवा तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते के नोट्स में प्रकटीकरण द्वारा ठीक नहीं किया गया माना जा सकता है।

24.5 कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) 2015 के नियम 4 द्वारा कवर की गई एआरसी को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता और एक समान कार्यान्वयन अनुपालन के साथ-साथ मिलान की सुविधा एवं बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2020 को डीओआर.(एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/ 2019-20 के माध्यम से आईएनडी एएस पर विनियामकीय निर्देश जारी किए हैं, जो उक्त विषय पर तत्पश्चात जारी निर्देशों के साथ-साथ ऐसी एआरसी पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से उनके वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लागू होंगे।

25. निवेश

25.1 एसआर में निवेश की प्रकृति पर विचार करते हुए जहां अंतर्निहित नकद प्रवाह अनर्जिक आस्तियों के उगाही पर निर्भर करता है, इसे बिक्री हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अत: एसआर में निवेश को श्रेणी के अंतर्गत निवेश के निवल मूल्य ह्रास /निवल मूल्य वृद्धि तक पहुंचाने के प्रयोजन से समेकित किया जा सकता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसे प्रदान किया जाए। यदि कोई निवल मूल्य वृद्धि है तो उसे नज़रअंदाज किया जाए।

25.2 सभी निवेशों का मूल्यांकन, लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जायेगा। जहां पर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां बाज़ार मूल्य को वसूली योग्य मूल्य माना जायेगा और ऐसी स्थिति में जब बाज़ार की दरें उपलब्ध नहीं हो तो वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य (फेयर वेल्यू) होगा। परंतु अन्य पंजीकृत एआरसी में निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जायेगा और उनका मूल्यांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा।

26. आय-निर्धारण

26.1 प्रतिभूति रसीदों के संपूर्ण मूलधन राशि का पूर्ण मोचन होने के बाद ही प्रतिफल (Yield) का निर्धारण किया जाना चाहिए।

26.2 प्रतिभूति रसीदों का पूर्ण मोचन के बाद ही अपसाइड (Upside) आय का निर्धारण किया जाना चाहिए।

26.3 प्रबंधन फीस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा निर्दिष्ट नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट एनएवी की सीमा के निचले अंत में गणना और वसूल किया जाना चाहिए, हालांकि इसे अंतर्निहित आस्ति के अधिग्रहण के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, प्रबंधन फीस, एसआर का एनएवी की उपलब्धता से पहले एसआर के वास्तविक बकाया मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिना जाना चाहिए।

26.4 उपचय आधार पर प्रबंधन शुल्क का निर्धारण किया जाए। योजना अवधि के दौरान निर्धारित प्रबंधन शुल्क को योजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। योजना अवधि के बाद निर्धारित प्रबंधन शुल्क को निर्धारित की जाने की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अप्राप्त प्रबंधन शुल्क को उलट दिया जाएगा। । इसके अतिरिक्त यदि वसूली के लिए निर्धारित समय से पहले, एसआर का एनएवी अंकित मूल्य के 50% से कम हो जाता है, तो किसी भी अप्राप्त प्रबंधन शुल्क को उलट दिया जाएगा।

26.5 [14] भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाले एआरसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात और लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि की गणना करते समय अपने एनओएफ से निम्नलिखित राशियां कम करनी होंगी:

(i) नियोजन अवधि के दौरान प्रबंधन शुल्क को मान्यता दी जाती है जो नियोजन अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के बाद अप्राप्त रहता है।

(ii) नियोजन अवधि की समाप्ति के बाद प्रबंधन शुल्क को मान्यता दी जाती है जो ऐसी मान्यता के 180 दिनों के बाद अप्राप्त रहता है।

(iii) कोई भी अप्राप्त प्रबंधन शुल्क, उस अवधि के बावजूद जिसके लिए यह अप्राप्त रहा है, जहां एसआर का एनएवी अंकित मूल्य के 50% से नीचे गिर गया है।

एनओएफ से घटाई गई राशि और लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि, यदि कोई हो तो, उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट अप्राप्त प्रबंधन शुल्क पर रखे गए किसी भी विशिष्ट अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते और उस पर कर निहितार्थ की निवल राशि होगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अप्राप्त प्रबंधन शुल्क की सीमा की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय इसकी वसूली पर संतुष्ट होना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रबंधन शुल्क की गणना विद्यमान नियमों के अनुसार कड़ाई से की जाए।

26.6 अन्य सभी मदों पर आय की पहचान मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगी ।

26.7 सभी अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज और किसी अन्य प्रभार को तभी आय खाते में लिया जायेगा जब वे वास्तव में वसूल हो गये हों। किसी एआरसी द्वारा आस्ति के अनर्जक होने से पहले वसूलनीय मानी गयी किन्तु अप्राप्त रही ऐसी आय को अमान्य कर दिया जायेगा।

26.8 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय आस्तियां अर्जित करने के लिए समुचित सावधानी आदि करने के लिए अधिग्रहण-पूर्व चरण में किए गए खर्च को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता देकर तुरंत खर्च किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे खर्च किए गए हैं। ट्रस्टों के गठन, स्टांप शुल्क, पंजीकरण आदि के लिए अधिग्रहण के बाद के चरण में किए गए खर्च और जो ट्रस्टों से वसूल किए जाने योग्य हैं, उन्हें उलट

[14] दिनांक 20 फरवरी 2023 को जारी परिपत्र क्रमांक विवि.एसीसी.आरईसी.नंबर 104/21.07.001/2022-23

दिया जाना चाहिए, यदि यह खर्च योजना अवधि अथवा एसआर के डाउनग्रेडिंग से 180 दिनों के भीतर वसूल नहीं किए जाते हैं, अर्थात, एनएवी एसआर के अंकित मूल्य के 50% से कम है, जो भी पहले हो।

27. तुलनपत्र में प्रकटीकरण: प्रत्येक एआरसी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार की जाएगी और उन्हें अपने तुलनपत्र में अनुबंध के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा:

(i) उन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के नाम और पते जिनसे वित्तीय आस्तियां अधिग्रहत की गयी हैं और वे मूल्य जिस पर ऐसी आस्तियां प्रत्येक ऐसे बैंक / वित्तीय संस्था से अधिग्रहत किये गये थे

(ii) विभिन्न वित्तीय आस्तियों का उद्योगवार और प्रवर्तकवार पृथककरण (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाना है)

(iii) लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित पक्षों का विवरण और उन्हे और उनसे देय राशियाँ

(iv) एक विवरण जिसमें स्पष्ट रूप से वित्तीय आस्तियों के मानक से गैर-निष्पादित आस्ति की ओर प्रवास का दर्शाता है

(v) वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी बहियों अथवा ट्रस्ट की बहियों में अर्जित वित्तीय आस्तियों का मूल्य

(vi) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों से हुई वसूली का मूल्य

(vii) वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली के लिए शेष वित्तीय आस्तियों का मूल्य

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक रूप से भुनाया गया प्रतिभूति रसीदों तथा पूरी तरह से भुनाया गया प्रतिभूति रसीदों का मूल्य

(ix) वित्तीय वर्ष के अंत में मोचन के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों का मूल्य

(x) पैराग्राफ 10.2 अथवा 10.3 के अंतर्गत एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए निर्मित नीति के अंतर्गत वसूली न हो पाने के कारण जिन प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो सकी, उनका मूल्य

(xi) आस्तियों के पुनर्निर्माण के (वर्ष-वार) सामान्य कारोबार के अंतर्गत अर्जित भूमि एवं/या भवन का मूल्य।

(xii) आस्ति के मूल्यांकन का आधार यदि आस्ति का अधिग्रहण मूल्य अंतरणकरता के बही पुस्तक मूल्य से अधिक है

(xiii) पिछले वर्ष के अंत तक मूल्यांकन के 20% से अधिक की छूट पर वर्ष के दौरान निपटाए आस्ति (अथवा तो बट्टे खाते डालकर अथवा वसूली से) के विवरण और उसके कारण

(xiv) आस्ति का ब्यौरा जहां एसआर के मूल्य मे अधिग्रहण मूल्य से 20% से अधिक गिरावट आई है।

(xv) [15] आउटसोर्स एजेंसी के बारे में जानकारी, यदि उसका स्वामित्व/नियंत्रण एआरसी के किसी निदेशक के पास है

(xvi) [16] आईबीसी के अंतर्गत अर्जित आस्तियों के बारे में जानकारी, जिसमें अर्जित आस्तियों का प्रकार और मूल्य, कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के आधार पर क्षेत्र-वार वितरण शामिल है।

(xvii) तिमाही आधार पर निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

(xviii)[17] वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों के नोट्स के हिस्से के रूप में निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूप में उनकी बहियों में पहचान की गई अप्राप्त प्रबंधन शुल्क की परिपक्वता की जानकारी (केवल आईएनडी एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाले एआरसी पर लागू होती है):

क्रम संख्या	**मापदंड**	**चालू वर्ष के अंत में**	**पिछले वर्ष के अंत में**
ए.	अप्राप्त प्रबंधन शुल्क की बकाया राशि		
	उपर्युक्त में से राशि बकाया है:		
बी.	(ए) वे राशियाँ जहाँ सुरक्षा प्राप्तियों का निवल आस्ति मूल्य अंकित मूल्य के 50% से कम हो गया है		
सी.	(बी) अन्य राशियाँ अप्राप्त: (i) 180 दिन से अधिक परन्तु 1 वर्ष तक (ii) 1 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष तक (iii) 3 वर्ष से अधिक		
डी.	अप्राप्त प्रबंधन शुल्क के लिए धारित भत्ते (बी और सी पर)		
ई.	निवल अप्राप्त प्रबंधन शुल्क (बी+सी-डी)		

28. विवरणी प्रस्तुत करना: एआरसी द्वारा समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी दाखिल करना) दिशानिर्देश - 2024 में निहित विवरणी जमा करने के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

[15] दिनांक 16 जुलाई 2020 का परिपत्र सं. विवि.एनबीएफसी(एआरसी) सीसी। क्रमांक 9/26.03.001/2020-21

[16] दिनांक 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र क्रमांक विविएसआईजी.फिन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23

[17] दिनांक 20 फरवरी 2023 का परिपत्र सं. विवि.एससी.आरईसी.नंबर 104/21.07.001/2022-23

29. लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रस्तुति: सभी एआरसी, प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम बैठक के एक माह के अंदर निदेशकों की रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, जिसमें लेखा परीक्षित लेखा शामिल किया गया हो। उक्त रिपोर्ट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के उस पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करें जहाँ यह पंजीकृत है।

30. उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग: एआरसी द्वारा उन सभी मामलों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को की जाएगी, जहां उसने उधारकर्ता से अपने बकाए की वसूली के लिए उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की गई है।

31. सूचना का प्रदर्शन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिगृहीत आस्ति[18]: एआरसी द्वारा उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी जिनकी सुरक्षित आस्ति अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा कब्जे में ले ली गई है। एआरसी द्वारा इस जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा:

सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिगृहीत आस्तियों की जानकारी

क्रम सं.	शाखा का नाम	राज्य	ऋण लेने वाले का नाम	गारंटर का नाम (जहां भी लागू हो)	उधारकर्ता का पंजीकृत पता	गारंटर का पंजीकृत पता (जहां भी लागू हो)	बकाया राशि (₹ में)	आस्ति वर्गीकरण	आस्ति वर्गीकरण की तिथि	प्राप्त प्रतिभूति का विवरण	कब्जे में ली गई प्रतिभूति के स्वामित्व धारक का नाम

यह सूची मासिक आधार पर अद्यतन की जाएगी।

[18] दिनांक 25 सितंबर 2023 का परिपत्र संख्या विवि.फिन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

खंड VII: विविध अनुदेश

32. आंतरिक लेखापरीक्षा: एआरसी अपने द्वारा अपनायी गयी आस्ति अभिग्रहण क्रियाविधियों और आस्ति पुनर्निर्माण के उपायों तथा उससे संबंधित मामलों की आवधिक रूप से जांच और समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए एक कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी।

33. साख सूचना कंपनियों से संबंधित दिशानिर्देश

33.1[19]एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना

(i) **सीआईसी की सदस्यता:** एआरसी सभी सीआईसी के सदस्य बन जाएंगे और समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित[20] समरूप (यूनिफ़ॉर्म) क्रेडिट रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार सीआईसी को अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) **जानकारी प्रस्तुत करना:** एआरसी अपने द्वारा एकत्रित/रखी गई सूचना को पाक्षिक आधार पर या साखसूचना कंपनी विनियमन, 2006 के विनियमन 10 (ए) (i) और (ii) के अनुसार एआरसी और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत छोटे अंतराल पर नियमित रूप से अद्यतन रखेंगे।

(iii) **अस्वीकृत डेटा का सुधार:** एआरसी को सीआईसी से प्राप्त अस्वीकृत डेटा को सुधारना होगा तथा ऐसे डेटा की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसे सीआईसी के पास अपलोड करना होगा।

(iv) **सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:** एआरसी के पास सीआईसी से संबंधित मामलों के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल होंगी:

(ए) एआरसी को सीआईसी को पहचानकर्ता जानकारी सहित अपेक्षित ग्राहक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

---

[19] दिनांक 10 अक्तूबर 2024 का परिपत्र संख्या विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.46/26.03.001/2024-25 - एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना

[20] मास्टर निर्देश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निर्देश, 2025 दिनांक 07 जनवरी 2025

(बी) एआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीआईसी को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किए जाएं तथा अंतिम किस्त सहित पुनर्भुगतान का कोई भी मामला रिपोर्ट किए बिना न छोड़ा जाए।

(सी) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने को केंद्रीकृत करके तथा सीआईसी को सूचना उपलब्ध कराकर पुनर्भुगतान सूचना को अद्यतन न करने की घटनाओं से बचा जा सकता है।

(डी) एआरसी को सीआईसी के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।

(इ) ग्राहकों की शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर साखसूचना के अद्यतनीकरण/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों के संबंध में।

(एफ) साख सूचना के संबंध में शिकायत निवारण को शिकायत निपटान के लिए विद्यमान प्रणालियों, यदि कोई हो, के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

(जी) एआरसी को साखसूचना के अद्यतनीकरण, परिवर्तन, विवादों के समाधान आदि के संबंध में सीआईसीआरए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत निर्धारित अवधि का पालन करना चाहिए। इस संबंध में साखसूचना कंपनी नियम, 2006 के नियम 20 और 21 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा से विचलन की निगरानी की जानी चाहिए तथा बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों/समीक्षाओं में उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।

33.2 एआरसी द्वारा समय-समय पर संशोधित दिनांक 30 जुलाई 2024 को जारी परिपत्र संख्या विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.31/20.16.003/2024-25 के तहत जारी इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार पर मास्टर डायरेक्शन के पैराग्राफ 2 (2), 2 (3), 2 (4) और अध्याय III के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

33.3 एआरसी को समय-समय पर संशोधित 06 जनवरी, 2025 के क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निर्देश द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

34. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ लेनदेन का विवरण दर्ज करना: एआरसी द्वारा भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (केंद्रीय रजिस्ट्री)

के साथ प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के निर्माण से संबंधित सभी लेनदेन के रिकॉर्ड, यदि कोई हो तो, को दर्ज और पंजीकृत किया जाएगा।

35. सूचना उपयोगिताओं (इंफोर्मेशन युटिलिटी) को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना: दिनांक 19 दिसंबर 2017 को जारी परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.98/09.08.019/2017-18 में निहित अनुदेश एआरसी पर लागू होंगे।

36. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी): एआरसी द्वारा समय-समय पर संशोधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश, 2016 का पालन करेगी।

37. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग: एआरसी को सनदी लेखाकार, अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वाले का ब्यौरा (जो अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता कर रहे हैं) धोखाधड़ी में शामिल थर्ड पार्टी संस्थाओं की जानकारी आईबीए डेटाबेस में शामिल करने के लिए आईबीए को रिपोर्ट करनी चाहिए। हालाँकि, एआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आईबीए द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों (परिपत्र सं. आरबी-II/एफ़आर./जीईएन/3/1331 दिनांक 27 अगस्त 2009) का सावधानीपूर्वक पालन करें और आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले पार्टियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपनी कार्रवाई को सही ठहराने का उचित अवसर दें। यदि एक महीने के भीतर उनसे कोई उत्तर/संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो एआरसी उनका विवरण आईबीए को रिपोर्ट करेंगे। एआरसी को भविष्य में ऐसी पार्टियों को कोई भी कार्य सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

38. अनुपालन न करने पर दंडात्मक परिणाम: इन निदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत की जाएगी और इस संबंध में कोई भी अनुपालन न होने पर, इस पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

39. प्रावधानों का निरसन

39.1 इन निर्देशों के जारी होने पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुबंध VII में उल्लिखित परिपत्रों में शामिल अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं।

39.2 उल्लिखित परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन/ प्राप्ति सूचना इन निर्देशों के तहत दी गई मानी जाएंगी।

39.3 सभी निरस्त परिपत्र इन निर्देशों के प्रभावी होने से पहले लागू माने गए हैं।

अनुबंध I: प्रतिभूति रसीदें (एसआर) से संबंधित प्रकटीकरण
(इन निदेशों के पैराग्राफ 17.7 की तुलना करें)

I. प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रकटीकरण

(i) प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाले से संबंधित प्रकटीकरण

ए) नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, निगमन की तिथि, एआरसी का कारोबार शुरू करने की तिथि

बी) प्रवर्तकों, शेयरधारकों के विवरण और एआरसी के बोर्ड में निदेशक की एक संक्षिप्त प्रोफ़ाइल उनकी योग्यताओं और अनुभव के साथ

सी) पिछले पाँच वर्षों का अथवा एआरसी का कारोबार आरंभ होने की तारीख से, जो भी कम हो, एआरसी की वित्तीय सूचना का सारांश

डी) पिछले आठ वर्षों में या व्यवसाय शुरू होने के बाद से, जो भी कम हो, प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण गतिविधियों का विवरण, यदि कोई हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं पर सभी एसआर निवेशकों के लिए जेनरेट हुए प्रतिलाभ का ट्रैक रिकॉर्ड शामिल होगा।

ई) पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ वसूली रेटिंग प्रवासन और जुड़ाव का ट्रैक रिकॉर्ड।

एफ) क्या इस योजना के तहत, जुटाई गई रकम के एक हिस्से को अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के लिए उपयोग करने की परिकल्पना की गई है? यदि हां, तो जुटाई गई धनराशि का प्रतिशत जिसका उपयोग पुनर्गठन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(ii) प्रस्ताव की शर्तें

ए)प्रस्ताव के उद्देश्य

बी) लिखत का विवरण जिसमें इसके स्वरूप, मूल्यवर्ग, निर्गम मूल्य आदि से संबंधित ब्योरे दिए गए हो

और इस आशय का एक प्रकथन कि प्रतिभूति रसीदों का हस्तांतरण योग्य खरिदार तक ही सीमित है

सी)आस्तियों के प्रबंधन के लिए की गई व्यवस्थाएं और एआरसी द्वारा लगाए गए प्रबंधन शुल्क की सीमा

डी) ब्याज दर /संभावित प्रतिफल

ई) मूलधन /ब्याज के भुगतान की शर्तें, अवधिपूर्णता/मोचन की तारीख

एफ) शोधन तथा प्रशासन व्यवस्था

जी) क्रेडिट रेटिंग का विवरण और रेटिंग का औचित्य

एच) प्रतिभूतिकरण की जा रही आस्तियों का विवरण जिसमें अधिग्रहण की तिथि, मूल्यांकन और एसआर जारी करने के समय आस्ति में एआरसी का हित शामिल है

आई) आस्ति समूह का भौगोलिक वितरण

जे) आस्ति समूह की अवशिष्ट अवधिपूर्णता, ब्याज दरें, बकाया मूलधन

के) अंतर्निहित प्रतिभूति का स्वरूप और मूल्य, संभावित नकदी प्रवाह, उनकी मात्रा और समय, साख वृद्धि के उपाय

एल) आस्तियों के अभिग्रहण की नीति और अपनायी गयी मूल्यन की पद्धति

एम) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियों के अभिग्रहण की शर्तें

एन) प्रवर्तकों (ओरिजिनेटर) के पास कार्यनिष्पादन के अभिलेख का ब्यौरा

ओ) आस्ति समूह में आस्तियों को बदलने की शर्तें, यदि कोई हो तो

पी) जोखिम फैक्टरों का विवरण, विशेष रूप से भविष्य के नकदी प्रवाहों से संबंधित और उक्त जोखिमों को कम करने के लिए किये गये उपाय

क्यू) चूक होने की स्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए की गयी व्यवस्थाएं, यदि कोई हों

आर) न्यासी के कर्तव्य

एस) आस्ति पुनर्निर्माण के विशिष्ट उपाय, यदि कोई हों, जिनके संबंध में निवेशकों से अनुमोदन लिया जायेगा

टी) विवाद निवारण प्रक्रिया।

II. तिमाही आधार पर प्रकटीकरण

ए) तिमाही के दौरान हुई कोई चूक, पूर्व भुगतान, हानियां, यदि कोई हो तो

बी) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) में हुआ परिवर्तन, यदि कोई हो

सी) एआरसी और सीआरए के बीच समानता और हितों का टकराव, यदि कोई हो

डी) वर्तमान आस्ति समूह में नयी आस्ति आने या आस्तियों की वसूली होने से आस्तियों की रूपरेखा(प्रोफाइल) में परिवर्तन

ई)वर्तमान और पिछली तिमाही का संग्रहण(कलेक्शन) सारांश

एफ)अर्जन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिससे योग्य खरीदार पर प्रभाव पड़ता हो।

अनुबंध II: निदेशक/एमडी/सीईओ द्वारा -------------------- को घोषणा और वचन
(इन निदेशों के पैराग्राफ 21.1 की तुलना करें)

नाम:

1. निदेशक/एमडी/सीईओ के प्रासंगिक संबंध

(i) रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो एआरसी से जुड़े हुए हैं (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 77 का संदर्भ लें)

(ii) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनका हित माना गया है (कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा 49 और धारा 184 का संदर्भ लें)

(iii) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उन्हें पर्याप्त हित रखने वाला माना गया है (पर्याप्त हित का अर्थ है किसी कंपनी/फर्म के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया लाभकारी हित, कुल प्रदत्त राशि जिस पर कंपनी/फर्म की प्रदत्त शेयर पूंजी/पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है)

(iv) एनबीएफसी/एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों का नाम जिसमें वह बोर्ड का सदस्य है या रह चुका है (उस अवधि का विवरण भी दें जिसके दौरान वह कार्यालय में रहा हो)

(v) एनबीएफसी/एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से उसके द्वारा और/या उपर्युक्त 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में प्राप्त की गई निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हैं

(vi) ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उपर्युक्त 1(ii) और (iii) में निदेशक या संस्थाएं चूककर्ता हैं या एनबीएफसी/एआरसी सहित वित्तीय संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक कर चुके हैं।

2. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड

प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां

3. निदेशक/एमडी/सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही, **यदि कोई हो**

(i) क्या निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है? ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो उनके खिलाफ अतीत में लंबित या शुरू हुई या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई अथवा क्या उन्हें किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए निदेशक और/या ऊपर 1(ii) और (iii) में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी के खिलाफ अतीत में लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, ऐसे अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण।

(iii) निदेशक के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में लंबित या शुरू हुए या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई, आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण।

(iv) क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है? यदि हाँ, तो उसका विवरण।

(v) क्या निदेशक या उपर्युक्त 1(ii) और 1(iii) में कोई भी संस्था किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी जांच के अधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण।

(vi) क्या निदेशक को किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण।

(vii) क्या निदेशक को किसी भी समय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए, आदि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस में आया है?

(viii) क्या निदेशक को पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है?

(ix) क्या निदेशक इरादतन चूककर्ता की सूची में अभी भी शामिल है?

4. कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना जो निदेशक/एमडी/सीईओ के निर्णय के लिए उपयुक्त और उचित हो

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

मैं एआरसी के बोर्ड में मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

* मैं एआरसी के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता हूं।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

* केवल निदेशकों के लिए लागू

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC) की स्वयं संतुष्ट होने की टिप्पणी, कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और परिपूर्ण है।

स्थान : एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

अनुबंध III: निदेशक/एमडी/सीईओ के बारे में जानकारी
(इन निदेशों के पैराग्राफ 21.1 की तुलना करें)

एआरसी का नाम:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ब्योरा</th><th>जानकारी/विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उम्मीदवार का नाम (प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रस्तावित पदनाम/निदेशक पद का प्रकार
[जैसे पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/गैर-कार्यपालक निदेशक (प्रायोजक/गैर-प्रायोजक), स्वतंत्र निदेशक, नामांकित निदेशक, आदि (स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)]</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जन्म की तारीख (DD/MM/YYYY)</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पता, ई-मेल आईडी और फोन/मोबाइल नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>स्थायी खाता संख्या (पैन)

पिछले 3 वर्षों के दौरान फाइल किए गए आयकर रिटर्न का विवरण</td><td>पैन:
<table><tr><th>फाइल करने की तारीख</th><th>भुगतान किये गये कर की राशि (₹)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और उसकी वर्तमान स्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हता</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कारोबार या व्यवसाय/पेशे का प्रकार
(उम्मीदवार के प्रासंगिक ज्ञान और प्रोफेशनल अनुभव का विवरण देने वाला संक्षिप्त विवरण)</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>सभी अधिकार क्षेत्र में उम्मीदवार के बैंक खातों का विवरण
(कृपया सभी खातों जैसे बचत, चालू, ऋण और अग्रिम आदि का विवरण दें)</td><td><table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>खाता का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>आवेदक एआरसी में उम्मीदवार की इक्विटी शेयरधारिता[21], यदि कोई हो:
(i) शेयर की संख्या
(ii) शेयरों का अंकित मूल्य
(iii) एआरसी की कुल चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत</td><td></td></tr>
</table>

[21] कृपया वरीयता शेयरों, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर आदि का विवरण, यदि कोई हो, अलग से भी शामिल करें।

12.	क्या उम्मीदवार किसी प्रायोजक/कों का नामांकित व्यक्ति है या उससे संबंधित/संबद्ध है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	
13.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों[22] की सूची, जो एआरसी से जुड़े हैं (यदि कोई हो), और ऐसे संबंध की प्रकृति	
14.	वर्तमान और पिछला[23] व्यवसाय (क्रम संख्या 15 में शामिल के अलावा) [पदनाम/भूमिका, संगठन का नाम और पता, कर्मचारी आईडी, कार्यकाल (से-तक), विनियामक का नाम (यदि भारत या विदेश में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है)]	
15.	बैंकों, वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी/एआरसी सहित) और अन्य संस्थाओं के नाम जिनमें उम्मीदवार अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदि रहे हैं [संस्था का नाम और पता और उसकी गतिविधि का क्षेत्र, धारित पद, कार्यकाल (से-तक), विनियामक का नाम (यदि भारत या विदेश में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है)]	
16.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें उम्मीदवार का हित माना गया है[24] या पर्याप्त हित रखता है[25] और उसका विनियामक	
17.	क्या उम्मीदवार या ऊपर (15) और (16) में सूचीबद्ध संस्थाएं बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किसी भी क्रेडिट सुविधा (निधि/ गैर- निधि-आधारित) के संबंध में चूक[26] पर हैं या पहले चूक कर चुकी हैं [यदि हाँ, तो कृपया पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें जैसे कि ऋणदाता का नाम (शाखा नाम सहित), सुविधा का प्रकार, अवधि और चूक की मात्रा, आदि और उसकी वर्तमान स्थिति]	
18.	क्या व्यक्ति किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है। यदि हां, तो उसके खिलाफ शुरू की गई, लंबित या अतीत में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, या क्या उसे किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय से प्रतिबंधित किया गया है।	

[22] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) देखें।
[23] कम से कम पिछले 10 वर्षों के दौरान
[24] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें।
[25] पर्याप्त हित का अर्थ है किसी कंपनी के शेयरों/फर्म की पूंजी में किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो, द्वारा रखा गया लाभकारी हित, जिस पर चुकता कुल राशि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है या किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों द्वारा सब्सक्राइब गई कुल पूंजी से अधिक है
[26] 'डिफ़ॉल्ट' का अर्थ है कि संबंधित सुविधा को बैंक/एफआई द्वारा अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19.	उम्मीदवार और/या ऊपर (15) और (16) में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी के विरुद्ध शुरू किए गए, लंबित या आर्थिक कानूनों/विनियमों के उल्लंघन के लिए अतीत में दोषसिद्धि होने पर सिविल या आपराधिक अभियोजन (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 (1) के तहत सहित) का विवरण, यदि कोई हो।	
20.	यदि उम्मीदवार ने किसी भी समय एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, तो उसका विवरण दें।	
21.	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित कोई अयोग्यता पायी गई है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण दें।	
22.	(ए) यदि किसी आपराधिक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण। (बी) यदि किसी अन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो ऐसी कार्यवाही के परिणाम के साथ उसका विवरण।	
23.	यदि उम्मीदवार या ऊपर (15) और (16) में सूचीबद्ध कोई संस्था पिछले नियोक्ताओं या सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा किसी जांच या सतर्कता/अनुशासनात्मक जांच के अधीन रही है, तो ऐसी कार्यवाही के परिणाम के साथ उसका विवरण।	
24.	यदि उम्मीदवार या ऊपर (15) और (16) में सूचीबद्ध संस्थाओं को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों / जांच एजेंसियों (कारण बताओ नोटिस जारी सहित) द्वारा नियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।	
25.	यदि पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, एमसीए, पेशेवर संगठनों, सरकारी एजेंसियों या अदालत जैसे किसी विनियामक द्वारा फटकार लगाई गई, निंदा की गई, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश दिया गया, या अन्यथा स्वीकृत लगाई गई, तो उसका विवरण[27]	

[27] यद्यपि उम्मीदवार के लिए उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें बाद में उलट दिया गया था/पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी आधार, जैसे सीमाओं या क्षेत्राधिकार की कमी कारण, न कि मेरिट, पर उलटने/ रद्द करने की स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और अपील की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

26.	यदि उम्मीदवार पेशेवर है (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आदि) और किसी एआरसी में पेशेवर काम कर रहा है या किया है, तो कृपया विवरण प्रदान करें (एआरसी का नाम और एसोसिएशन की अवधि सहित)	
27.	क्या उम्मीदवार को पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय किसी बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण और वर्तमान स्थिति।	
28.	क्या उम्मीदवार द्वारा धारित निदेशक पद की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165/सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 (जैसा लागू हो) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।	
29.	व्यक्ति को 'उपयुक्त और उचित' मानने के लिए प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई भी अन्य जानकारी।.	

प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति द्वारा घोषणा

1. मैं पुष्टि करता हूं कि मैं किसी भी अनिगमित निकाय से संबद्ध नहीं हूं जो जनता की जमाराशियाँ स्वीकार कर रहा है।
2. मैं पुष्टि करता हूं कि मैं किसी भी ऐसी कंपनी से संबद्ध नहीं हूं, जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के लिए आवेदन को भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा खारिज कर दिया गया है।

प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति द्वारा वचनबद्धता

1. मैं पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और पूर्ण है।
2. मैं इस आवेदन को प्रस्तुत करने के बाद या मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में, जो यहां ऊपर दी गई जानकारी से प्रासंगिक हैं, कंपनी को यथाशीघ्र पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं।
3. मैं कंपनी के साथ एक 'प्रसंविदा विलेख' निष्पादित करने का भी वचन देता हूं।

स्थान: **तारीख:**	**प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) प्रस्तुत करना

पुष्टि कि एनआरसी द्वारा प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति के संबंध में आवश्यक सम्यक जांच की गई है।	
एनआरसी की टिप्पणियां जो इस बात से संतुस्त हैं कि यहां दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।	
स्थान: **तारीख:**	**एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर** **नाम:**

विधिवत भरा हुआ फार्म उम्मीदवार (प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और एआरसी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

अनुबंध IV: आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/जानकारी की एक सांकेतिक सूची (इन निदेशों के पैराग्राफ 21.1 की तुलना करें)

क्र.सं.	अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएं और आरबीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़	पृष्ठ सं.
i.	निदेशक, प्रबंध निदेशक या सीईओ की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाला एआरसी द्वारा आवरण पत्र, जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो (कंपनी की मुहर के साथ)	
ii.	उम्मीदवार का पहचान दस्तावेज - पैन कार्ड / चुनाव कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आधार कार्ड (कोई भी एक)	
iii.	क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (स्कोर + पूर्ण रिपोर्ट) (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) [रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों/विशेषताओं, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया जाए]	
iv.	उन सभी खातों (जमा और ऋण/अग्रिम खाते दोनों) के लिए बैंकर रिपोर्ट जहां उम्मीदवार खाताधारक है (बैंक के सीलबंद लिफाफे में)	
v.	निदेशक/एमडी/सीईओ की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के साथ प्रस्तावित कार्यकाल का प्रस्ताव करने वाला बोर्ड संकल्प	
vi.	एआरसी द्वारा पर्यवेक्षी अनुपालन की स्थिति पर घोषणा	
vii.	ए) पुष्टि कि क्या शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है जिसके कारण प्रस्तावित नियुक्ति हुई है (बी) एआरसी का शेयरधारिता पैटर्न	
viii.	प्रस्तावित निदेशक की नियुक्ति से पहले बोर्ड की संरचना (पदनाम, नियुक्ति की तारीख, कार्यकाल, डीआईएन, आदि के साथ)	
ix.	पुष्टि करें कि सेबी के एलओडीआर दिशानिर्देश एआरसी पर लागू हैं या नहीं?	

अनुबंध V: निदेशक के साथ प्रसंविदा विलेख का प्रपत्र
(इन निदेशों के पैराग्राफ 21.1 की तुलना करें)

यह प्रसंविदा विलेख दो हजार _______ के ________ में________ दिन को _________ के बीच किया गया है, जिसके एक भाग में __________ है जिसका पंजीकृत कार्यालय __________ में है (इसके बाद 'एआरसी' कहा जाएगा) और दूसरे भाग में ____________ के श्री / सुश्री __________ हैं (इसके बाद 'निदेशक' कहा जाएगा)।

जबकि

ए. निदेशक को एआरसी के निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है (इसके बाद इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा) और उनकी नियुक्ति की अवधि का एआरसी के साथ प्रसंविदा विलेख को करने के लिए आवश्यक है।

बी. निदेशक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इस प्रसंविदा विलेख को करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह एतदद्वारा स्वीकृत है और यह प्रसंविदा विलेख इस प्रकार साक्षी है :

1. निदेशक स्वीकार करते हैं कि एआरसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति इस प्रसंविदा विलेख के प्रावधानों और एआरसी के, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम और लागू कानूनों व विनियमों के अधीन है।

2. निदेशक द्वारा एआरसी के साथ प्रसंविदा की जाती है कि:

(i) यदि निदेशक का एआरसी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में हुई या होने वाली किसी संविदा या व्यवस्था या किसी प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में कोई हित है या वह इसमें शामिल है या उन्हें शामिल किया जाना है, तो वह इसके बारे में पता चलने पर तुरंत निदेशक बोर्ड को अपने हित की प्रकृति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करेगा या बोर्ड की उस बैठक में जहां इस तरह की संविदा या व्यवस्था को करने के सवाल पर विचार किया गया या यदि निदेशक उस संबंधित बैठक की तारीख पर नहीं था या वह इस तरह की प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में रुचि नहीं रखता हो, तो उनके संबद्द या उनकी दिलचस्पी होने

के बाद होने वाली बोर्ड की पहली बैठक में और किसी अन्य संविदा या व्यवस्था के मामले में, निदेशक द्वारा संविदा या व्यवस्था में संबद्द या दिलचस्पी होने के बाद होने वाली बोर्ड की पहली बैठक में उन्हें अपेक्षित प्रकटीकरण करना होगा।

(ii) निदेशक सामान्य नोटिस द्वारा बोर्ड को अपने अन्य निदेशकों, कार्पोरेट निकायों की सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उनके हित और फर्मों के भागीदार या मालिक के रूप में अपने हित का खुलासा करेगा और उसमें होने वाले सभी परिवर्तनों से बोर्ड को अवगत कराते रहेंगे।

(iii) निदेशक एआरसी को कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित अपने रिश्तेदारों की एक सूची और जिस हद तक निदेशक ऐसे रिश्तेदारों के अन्य निकाय कॉर्पोरेट, फर्मों और अन्य संस्थाओं में निदेशक पद पर होने और हितों के बारे में जानता है, की जानकारी प्रदान करेगा।

(iv) निदेशक द्वारा एआरसी के निदेशक के रूप में अपने निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन किया जाएगा:

ए) कौशल का इस प्रकार उपयोग करे जो किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव के साथ अपेक्षा करने के लिए उचित हो

बी)अपने कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन में इस तरह की सावधानी बरतें जितनी उनसे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकें कि वे अपनी ओर से और उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग सद्भावपूर्वक और एआरसी के हित में करेंगे।

सी) एआरसी के व्यवसाय, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में स्वयं को उस सीमा तक अवगत रखें, जितना उन्हें प्रकटीकरण किया गया है।

डी) बोर्ड और उसकी समितियों (संक्षिप्तता के लिए सामूहिक रूप से 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लें और एआरसी के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों को कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करें।

ई) एआरसी के हितों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास न करें

एफ) बोर्ड के समक्ष लाए गए एआरसी को प्रभावित करने वाले सभी मामलों, जिनमें सांविधिक अनुपालन, कार्य-निष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यपालक नियुक्तियां और आचरण के मानक शामिल हैं, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, पर स्वतंत्र निर्णय लें।

जी) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय को लेते समय, वह किसी भी व्यवसाय या अन्य संबंधों से मुक्त होना चाहिए जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।

एच) बोर्ड की बैठकों में बिना किसी डर या पक्षपात के और अपने स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर किसी प्रभाव के बिना अपने विचार और राय व्यक्त करेंगे।

(v) निदेशक के पास होगा:

ए) सद्भावना से और एआरसी के हित में कार्य करने का प्रत्ययी कर्तव्य, न कि किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए

बी) एआरसी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम और लागू कानूनों और विनियमनों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य करने का कर्तव्य; और

सी) एआरसी के व्यवसाय की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य

(vi) निदेशक करेंगे:

ए) बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे

बी) एआरसी के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के कार्यनिष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जहां भी निदेशक के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण हो, वह तुरंत बोर्ड के सामने अपनी चिंताओं को प्रकट करेंगे/करेंगी; और

सी) बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्हें प्रकट की गई जानकारी का अपने या किसी अन्य के लाभ के लिए अनुचित उपयोग नहीं करेंगे और एआरसी द्वारा उन्हे प्रकट की गई जानकारी का उपयोग एआरसी के निदेशक के रूप में उनकी क्षमता में केवल निदेशक के रूप में उसके कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

3. एआरसी निदेशक के साथ प्रसंविदा करता है कि :

(i) एआरसी निदेशक को इसके बारे में अवगत कराएंगे:

ए) निदेशक के कानूनी और अन्य कर्तव्यों की पहचान और सांविधिक दायित्वों के साथ आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं

बी) नियंत्रण प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

सी) ऐसे मामले जिनमें निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हित के कारण भाग नहीं लेना चाहिए

डी) योग्यता आवश्यकताएँ और ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रतियां प्रदान करें

ई) कॉर्पोरेट नीतियां और प्रक्रियाएं

एफ) भेदिया लेन-देन पर प्रतिबंध

जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, उन्हें प्राधिकार का प्रत्यायोजन और संदर्भ की शर्तें

एच) वरिष्ठ कार्यपलकों की नियुक्ति और उनके अधिकार

आई) पारिश्रमिक नीति

जे) बोर्ड की समितियों के विचार-विमर्श

के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, लागू नियमों, एआरसी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम सहित, प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ कार्यपलकों में परिवर्तन।

(ii) एआरसी निदेशक सहित बोर्ड को सभी जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे और प्रदान करेंगे जो एआरसी के निदेशक के रूप में उनके कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और बोर्ड के समक्ष विचार के लिए लाए गए या बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा निदेशक को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(iii) एआरसी द्वारा निदेशकों को किए जाने वाले प्रकटन में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

ए) बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी

बी) एआरसी की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाएं और पूर्वानुमान

सी) एआरसी की संगठनात्मक संरचना और प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल

डी) प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और सिस्टम

ई) आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण

एफ) प्रमुख व्यय पर जानकारी और अद्यतन

जी) एआरसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा

एच) रणनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट

iv) एआरसी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड के विचार-विमर्श के परिणामों के बारे में समय पर सूचित करेंगे ,और जहां तक संभव हो बोर्ड बैठक के समापन की तारीख से 2 कार्यदिवसों के भीतर निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार और प्रसारित करेंगे।

v) बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में सौंपे गए प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सलाह देना

4. एआरसी निदेशक को उनकी प्रभावशीलता सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के कामकाज पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

5. निदेशक, एआरसी के निदेशक के रूप में अपने कार्यालय और अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेंगे, स्थानांतरित नहीं करेंगे, किराये पर नहीं देंगे या उस पर भार नहीं डालेंगे बशर्ते कि इसमें शामिल किसी भी बात का अर्थ बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा एआरसी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों सहित लागू विधियों और विनियमों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, शक्ति, कार्य या प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधिमंडल को प्रतिबंधित करना नहीं होगा।

6. किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी दायित्व या कर्तव्य को पूरा करने, निर्वहन करने, पालन करने या अनुपालन करने में विफलता को इसके लिए छूट नहीं माना जाएगा न ही यह समय या उसके बाद किसी भी समय पर उसके प्रदर्शन, पालन, निर्वहन या अनुपालन में बाधा के रूप में कार्य करेगा।

7. इस प्रसंविदा विलेख में कोई भी और सभी संशोधन और/या अनुपूरक और/या परिवर्तन केवल तभी वैध और प्रभावी होंगे जब निदेशक और एआरसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होंगे।

8. अनुबंध का यह विलेख दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियों को मूल माना जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप पार्टियों ने उपर्युक्त लिखित दिन, महीने और वर्ष पर इस करार को विधिवत निष्पादित किया है।

एआरसी के लिए	**निदेशक**
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
नाम:	नाम:
उपाधि:	
दिनांक:	

निम्न की उपस्थिति में:

1.

2.

अनुबंध VI
(इन निदेशों के अनुच्छेद 22 की तुलना करें)

फार्म I: प्रायोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

एआरसी का नाम :

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
	भाग A	
1.	प्रायोजक का नाम (पिछले नामों सहित, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तनों की तारीख सहित)	
2.	प्रायोजक का वर्तमान एवं स्थायी पता	
3.	प्रायोजक का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	
4.	प्रायोजक का व्यवसाय/व्यवसाय की प्रकृति	
5.	यदि प्रायोजक एक व्यक्ति है तो नागरिकता और निवासी की स्थिति/ यदि प्रायोजक एक इकाई है तो स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (फेमा के अनुसार)	
6.	जन्मतिथि/निगमन	
7.	सीआईएन/पंजीकरण संख्या/पैन/टैन	
8.	बैंक खातों का विवरण - बैंक, शाखा और खाता संख्या।	
9.	पिछले 3 वर्षों के लिए लाभप्रदता और औसत आय और निवल मूल्य (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
10.	शेयरों/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों/डिबेंचर/बांडों के अधिग्रहण के लिए धन का स्रोत (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
11.	पिछले 3 वर्षों के लिए प्रायोजक के आयकर विवरणी और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
12.	वित्तीय क्षेत्र में बैंकों और अन्य संस्थानों में प्रायोजक के निदेशक पद/शेयरधारिता/मतदान अधिकार/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर/डिबेंचर/बांड आदि का विवरण	
13.	एआरसी में प्रायोजक द्वारा अधिग्रहण का विवरण (शेयरधारिता ₹ और % में)।	
14.	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी अन्य व्यक्ति का लाभकारी हित है	
15.	प्रायोजक की पृष्ठभूमि और अनुभव, विशेषज्ञता और व्यवसाय के ट्रैक रिकॉर्ड पर विस्तृत प्रोफ़ाइल	
16.	क्या प्रायोजक वित्तीय क्षेत्र की इकाई/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है	
17.	क्या प्रायोजक को पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है यदि हाँ, तो क्या प्रायोजक इरादतन चूककर्ता बना रहेगा?	
भाग बी		
18.	(ए) प्रायोजक के 'रिश्तेदारों' की सूची (बी) प्रायोजक के साथ '*मिलकर कार्य* करने वाले व्यक्तियों' की सूची (सी) प्रायोजक के सहयोगी उद्यमों की सूची (डी) उन संस्थाओं की सूची जिनके पास प्रायोजक की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (ई) एचयूएफ की सूची जहां प्रायोजक या उसके परिवार का सदस्य, सदस्य/कर्ता है (एफ) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उपरोक्त (ई) पर एचयूएफ के पास उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (जी) उन संस्थाओं की सूची जिनमें प्रायोजक के पास उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (एच) संस्थाएं, यदि कोई हों, जिनमें प्रायोजक को रुचि रखने वाला माना जाता है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
	(आई) ऐसी संस्थाएँ जहाँ प्रायोजक के आम शेयरधारक हैं जो सामूहिक रूप से प्रायोजक की भुगतान की गई शेयर पूंजी का 20% या अधिक हिस्सा रखते हैं और वे संस्थाएँ भी (जे) प्रायोजक की संबंधित पार्टी (एएस 18 देखें)। *स्पष्टीकरण: इस भाग के प्रयोजन के लिए,* *(i) "रिश्तेदार" का अर्थ है 'रिश्तेदार' जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है।* *(ii) व्यक्तियों को "मिलकर कार्य करने वाला" माना जाएगा जो, 10% से अधिक शेयरों के अधिग्रहण के एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए, एक करार या समझ (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एआरसी में शेयरों को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होकर सहयोग करेंगे;* *(iii) "प्रायोजक के सहयोगी उद्यम" का अर्थ है ऐसी कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, जो* *(ए) एक धारक कंपनी या प्रायोजक की अनुषंगी कंपनी है; या* *(बी) प्रायोजक का एक संयुक्त उद्यम (एएस 23 के अनुसार परिभाषित) है; या* *(सी) प्रायोजक को नियंत्रित करने वाले निदेशक मंडल या अन्य निकाय की संरचना को नियंत्रित करता है; या* *(डी) प्रायोजक की गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।*	
	भाग सी	
19.	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को किसी भी समय दिवाला/दिवालिया घोषित किया गया है	
20.*	यदि प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाएं किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध अतीत में लंबित या शुरू हुई या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई है या क्या उसने किसी भी समय किसी भी प्रोफेशन/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है	

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
21.*	प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अतीत में लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई हो, गंभीर अनुशासनात्मक या आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
22.*	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को किसी भी समय कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित सीमा शुल्क द्वारा नियमों/विधायी आवश्यकताओं/ उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकरण / जांच एजेंसियां / आर्थिक विधि / कोई विनियमन, के उल्लंघन/ का दोषी पाया गया है, यदि हां, तो विवरण दें	
23.	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी कानून के तहत बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है	
24.	क्या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या वह इरादतन चूककर्ता बना रहेंगे?	
	भाग डी	
25.	यदि प्रायोजक एक विनियमित इकाई है, तो भारत और विदेश में प्रायोजक के विनियामकों के नाम और पते	
26.	प्रायोजक का शेयरधारिता पैटर्न	
27.	पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रायोजक द्वारा जुटाई गई पूंजी का विवरण	
28.	यदि प्रायोजक किसी समूह से संबंधित है तो समूह की विस्तृत कॉर्पोरेट संरचना (अधिमानतः सचित्र रूप में)	

***** हालाँकि किसी व्यक्ति के लिए कॉलम में विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करना जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया / पूरी तरह से अलग कर दिया गया, आवश्यक नहीं होगा, तथापि, यदि रद्द करना/अलग करना तकनीकी कारणों जैसे सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि पर है, न कि योग्यता के आधार पर, तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और अपीलीय/अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

वचन पत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में एआरसी को यथाशीघ्र पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं, जो उपरोक्त जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

प्रायोजक के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

तारीख :

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त कथन में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही मायने में बताई गई है।

कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :
पद का नाम :
कंपनी की मुहर :
तारीख :
स्थान :

भाग ई

एआरसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

क्र. सं.	**विवरण**	**टिप्पणी**
29.	उक्त मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी प्रायोजक की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक मानी जाएँ	
30.	शेयरधारक करारों का संक्षिप्त विवरण	

कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पद का नाम:

कंपनी की मुहर:

तारीख :
स्थान :

फार्म II: प्रायोजकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय एआरसी द्वारा रिज़र्व बैंक को दी जाने वाली जानकारी

सं.क्र.	**विवरण**	**टिप्पणी**
1.	एआरसी का नाम	
2.	एआरसी की चुकता शेयर पूंजी	
3.	एआरसी के मौजूदा प्रायोजकों का नाम	
4.	प्रस्तावित प्रायोजक का नाम	
5.	सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा पर प्रस्तावित प्रायोजक का ट्रैक रिकॉर्ड	
6.	अधिग्रहण पर एआरसी की रिपोर्ट (निदेशक मंडल की समीक्षा पर आधारित)	
7.	क्या प्रस्तावित प्रायोजक निवासी है या गैर-निवासी है	
8.	क्या प्रस्तावित प्रायोजक या फॉर्म I के भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाएं गंभीर अनुशासनात्मक या आपराधिक प्रकृति की किसी कार्यवाही के अधीन हैं	

संलग्न :

(i) एआरसी की रिपोर्ट

(ii) बोर्ड संकल्प की प्रति

(iii) व्यक्तिगत प्रायोजकों के लिए फॉर्म।

कंपनी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :
पद का नाम :
कंपनी की मुहर:
तारीख :
स्थान:

फार्म III: एआरसी के सभी मौजूदा प्रायोजकों द्वारा एआरसी को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक घोषणा (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को)

एआरसी का नाम:

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
1.	प्रायोजक का नाम	
2.	प्रायोजक का पता	
3.	प्रायोजक का व्यवसाय (व्यक्तियों के मामले में)	
4.	एआरसी में प्रायोजक द्वारा धारित शेयरों/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों/डिबेंचर/बॉन्ड की कुल संख्या	
5.	पिछले 5 वर्षों में एआरसी में शेयरों/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों/डिबेंचर/बॉन्ड के अधिग्रहण की तारीख/तारीखें	
6.	पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत या विदेश में नियामकों द्वारा फॉर्म I के भाग बी में सूचीबद्ध प्रायोजकों और व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नियामक कार्रवाइयों का विवरण	
7.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान फॉर्म I के भाग बी में सूचीबद्ध प्रायोजक और व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही हुई है, यदि हां, तो उसका विवरण दें।	
8.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रायोजक और फॉर्म I के भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई नागरिक कार्यवाही हुई है, यदि हां, तो उसका विवरण दें।	
9.	पिछले 5 वर्षों में प्रायोजक के स्वामित्व में परिवर्तन (संस्थाओं के मामले में), यदि कोई हो	

प्रायोजक के हस्ताक्षर और मोहर
स्थान :
दिनांक :

अनुबंध VII: निरस्त परिपत्रों की सूची

सं. क्र	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	डीएनबीएस.पीडी.सीसी. 1/एससीआरसी/10.30/2002-03	23 अप्रैल 2003	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - अंतिम दिशानिर्देश और निदेश जारी करना
2	डीएनबीएस.पीडी.सीसी. 2/ एससीआरसी /10.30/2003-04	29 मार्च 2004	प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश और निदेश, 2003
3	डीएनबीएस.पीडी.सीसी. 3/ एससीआरसी /10.30.000/2006-07	20 सितंबर 2006	प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश और निदेश, 2003
4	डीएनबीएस.पीडी.सीसी. 4/ एससीआरसी /10.30.000/2006-07	19 अक्तूबर 2006	प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) दिशानिर्देश और निर्देश, 2006
5	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.5/ एससीआरसी /10.30.000/2006-07	25 अप्रैल 2007	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्सुरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) की धारा 3 (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्सुरचना कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतकारण
6	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.6/ एससीआरसी /10.30.049/2006-07	28 मई 2007	प्रतिभूतिकरण कंपनि / पुनर्सुरचना कंपनि द्वारा सिक्यूरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत
7	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.8/ एससीआरसी /10.30.000/2007-08	5 मार्च 2008	प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सुरचना कंपनियों (आरसी) विनियमन – एससी / आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैलेंस शीट) का प्रस्तुतीकरण
8	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.9/ एससीआरसी /10.30.000/2007-08	22 अप्रैल 2008	प्रतिभूतिकरण कंपनि / पुनर्सुरचना कंपनि का विनियमन – प्रतिभूति (सिक्युरिटी) रसीदों जारी करते समय प्रकटीकरण
9	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.12/ एससीआरसी 10.30.000/2008-09	26 सितंबर 2008	सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला त्रैमासिक विवरण

सं. क्र	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
10	डीएनबीएस /पीडी(एससी/आरसी)सीसी.सं.13/26.03.001/2008-09	22 अप्रैल 2009	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन - स्पष्टीकरण
11	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.14/ एससीआरसी /26.01.001/2008-09	24 अप्रैल 2009	अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली- जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के शोधन समय-सीमा में विस्तार
12	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं17/ एससीआरसी /26.03.001/2009-2010	21 अप्रैल 2010	प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी मार्गदर्शी सिध्दांत (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2010
13	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.18/ एससीआरसी /26.03.001/2009-2010	21 अप्रैल 2010	प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत तथा निदेश, 2003 - संशोधन
14	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.19/ एससीआरसी /26.03.001/2009-2010	21 अप्रैल 2010	प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत तथा निदेश, 2003 - संशोधन
15	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.23/ एससीआरसी /26.03.001/2010-2011	25 नवंबर 2010	साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना
16	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.24/ एससीआरसी /26.03.001/2010-2011	25 मई 2011	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन
17	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.34/ एससीआरसी /26.03.001/2013-14	31 दिसंबर 2013	सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति

सं. क्र	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
18	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.35/ एससीआरसी /26.03.001/2013-14	23 जनवरी 2014	कर्ज का शेयर में परिवर्तन, प्रतिभूति प्रवर्तन कार्यों पर सहमति स्तर तथा अन्य एससी/आरसी से कर्ज अधिगृहित करने की अनुमति
19	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.36/ एससीआरसी /26.03.001/2013-14	19 मार्च 2014	पुनर्गठन समर्थन वित्त - निवेशकों द्वारा भागीदारी
20	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.37/ एससीआरसी /26.03.001/2013-14	19 मार्च 2014	एससी/आरसी द्वारा चूककर्ताओं से आस्तियों की वापसी खरीद तथा प्रायोजक बैंकों से एससी/आरसी द्वारा आस्तियों का अधिग्रहण
21	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.38/ एससीआरसी /26.03.001/2013-14	23 अप्रैल 2014	एआरसी के लिए एकसमान लेखांकन मानक
22	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.41/ एससीआरसी /26.03.001/2014-15	05 अगस्त 2014	एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन
23	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी .सं.42/ एससीआरसी /26.03.001/2014-15	07 अगस्त 2014	एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन – स्पष्टीकरण
24	डीएनबीआर.(पीडी).सी सी.सं.01/ एससीआरसी 26.03.001/2014-15	24 फरवरी 2015	शेयरधारिता में परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना
25	डीएनबीआर.(पीडी).सी सी.सं.02/ एससीआरसी /26.03.001/2014-15	07 मई 2015	बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलों के लिए समाधान अवधि
26	डीएनबीआर.पीडी (एआरसी) सीसी. सं. 03/26.03.001/2016-17	28 अप्रैल 2017	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- धारा 3 (1) (बी) - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता
27	डीएनबीआर.पीडी (एआरसी) सीसी. सं.04/26.03.001/2017-18	23 नवंबर 2017	ऋण का इक्विटी में रूपांतरण- समीक्षा

सं. क्र	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
28	डीएनबीआर.पीडी (एआरसी) सीसी. सं.05/26.03.001/2017-18	04 जनवरी 2018	इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
29	डीएनबीआर.पीडी (एआरसी) सीसी. सं. 06/26.03.001/2018-19	25 अक्तूबर 2018	मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018
30	डीएनबीआर.पीडी (एआरसी) सीसी. सं.07/26.03.001/2018-19	28 जून 2019	अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण कीअनुमति
31	डीओआर. एनबीएफसी . (एआरसी) सीसी. सं. 8/26.03.001/2019-20	6 दिसम्बर 2019	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण
32	डीओआर. एनबीएफसी . (एआरसी) सीसी. सं. 9/26.03.001/2020-21	16 जुलाई 2020	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता
33	डीओआर.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23	11 अक्तूबर 2022	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
34	डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23	20 फरवरी 2023	भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
35	डीओआर.जीओवी.आरईसी.79/18.10.006/2023-24	27 फरवरी 2024	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
36	विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 46/26.03.001/2024-25	10 अक्तूबर 2024	एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना
37	विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी. 56/ 26.03.001/2024-25	20 जनवरी 2025	एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं की देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश